

**राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष, श्री विनय कुमार मिश्रा एवं निम्न सदस्य दिनांक 13/06/2016 को प्रातः 11:00 बजे, स्थान-सभाकक्ष, न्यु सर्किट हाउस, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) में बैठक हेतु उपस्थित हुये:-

1. श्री एन.आर. यादव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्रीमती रेजीना टोप्पो, सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

उपाध्यक्ष द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के माननीय सदस्य, श्री यु.सी. पाण्डेय जी का दुखद निधन दिनांक 13/05/2016 को हो गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिये 2 मिनट मौन रखने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तदनुसार 2 मिनट का मौन रखकर स्व. श्री यु.सी. पाण्डेय जी के आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना की गई।

तत्पश्चात् 05 मिनट के अंतराल के उपरांत राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 को प्रातः 11:10 बजे, स्थान-सभाकक्ष, न्यु सर्किट हाउस, सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.) में श्री विनय कुमार मिश्रा, उपाध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई।

प्रारंभ में राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सचिव द्वारा माननीय उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। एजेण्डा के क्रम में निम्नानुसार चर्चा की गई:-

**एजेण्डा आईटम नं.-1:** 192वीं, 193वीं, 194वीं एवं 195वीं बैठक क्रमशः दिनांक 02/05/2016, 03/05/2016, 04/05/2016 एवं 05/05/2016 का कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 192वीं, 193वीं, 194वीं एवं 195वीं बैठक क्रमशः दिनांक 02/05/2016, 03/05/2016, 04/05/2016 एवं 05/05/2016 को आयोजित की गई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से चारों बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

**एजेण्डा आईटम नं.-2:** परियोजनाओं एवं खनिज उत्खनन के पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर बाबत निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स बीईसी फर्टिलाइजर्स (यूनिट ऑफ मिलार्ड इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड), इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम-सिरगिट्टी, तहसील - बिल्हा, जिला-बिलासपुर (419)

- ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी2/ 51049/2016, यह आवेदन दिनांक 04/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक से दिनांक 17/03/2016 को प्राप्त हुआ है।
- प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में टीओआर हेतु दिनांक 28/04/2015 को प्रोडक्ट मिक्स में परिवर्तन के तहत क्रोमिक एसिड-2100 टन/वर्ष, बेसिक क्रोमियम सल्फेट-4500 टन/वर्ष एवं सैचरिन-300 टन/वर्ष हेतु टीओआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत इण्डस्ट्रीयल एरिया सिरगिट्टी, ग्राम-सिरगिट्टी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर हेतु आवेदन किया गया था। कुल प्लॉट एरिया 47.66 एकड़ है। परियोजना की कुल विनियोग रुपये 8.50 करोड़ है।
- एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 09/09/2015 के द्वारा उद्योग को बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 5(एफ) का स्टैंडर्ड टीओआर (औद्योगिक क्षेत्र में प्रस्तावित होने के कारण से लोक सुनवाई आवश्यक नहीं) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था।
- पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन :- परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/03/2016 को ईआईए रिपोर्ट के साथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी :- मॉनिटरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2015 से 31 दिसम्बर 2015 के मध्य किया गया है। 08 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 08 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 08 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 08 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है। मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.<sub>2.5</sub> ग्राम कनार के पास न्यूनतम 11.4 एवं ग्राम बनाक में अधिकतम 26.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.<sub>10</sub> ग्राम भाटापारा में न्यूनतम 27.1 तथा प्लांट साईट पर अधिकतम 62.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एस.ओ.<sub>2</sub> ग्राम भाटापारा में न्यूनतम 9.1 तथा प्लांट साईट पर अधिकतम 17.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाया गया है। इसी प्रकार एन.ओ.<sub>एक्स</sub> ग्राम भाटापारा में न्यूनतम 11.1 तथा प्लांट साईट में अधिकतम 19.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। सतही जल स्रोत एवं भू-जल स्रोतों से एकत्रित जल नमूनों की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गई है। परिवेशीय ध्वनि स्तर 43.3 से 55.4 डी.बी.ए. के मध्य दिन में एवं 40.4 से 52.2 डी.बी.ए. के मध्य रात्रि के दौरान पाया गया है।
- उद्योग की अन्य जानकारी :- उद्योग की कुल भूमि 47.66 एकड़ है, जिसमें बिल्टअप एरिया 12.15 एकड़ एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप 2.15 एकड़ भूमि में किया जावेगा। खाली भूमि 15.03 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट एवं ग्रीन कव्हर एरिया 18.35 एकड़ भूमि पर किया गया है। आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण किया गया है। गारलेण्ड ड्रेन बनाया जावेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जावेगी।

● **रॉ-मटेरियल संबंधी जानकारी :-**

1. **क्रोमिक एसिड** – सोडियम बाई क्रोमेट (एनहाईड्रस) – 3000 टीपीए एवं सल्फ्युरिक एसिड – 2250 टीपीए
2. **बेसिक क्रोमियम सल्फेट**– सोडियम बाई क्रोमेट – 2000 टीपीए एवं सल्फ्युरिक एसिड – 2100 टीपीए
3. **सैचरिन –आर्था टाल्युईन सल्फोनामाईड**– 300 टीपीए, पोटेशियम परमेगनेट– 0.2 टीपीए, सोडियम बाई क्रोमेट– 600 टीपीए, सोडियम मेटा बाई सल्फाईट – 1.0 टीपीए, सल्फ्युरिक एसिड–1600 टीपीए, चारकोल– 1.5 टीपीए एवं सोडा एश– 180 टीपीए

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री दिलीप गोवर्धन, ए.जी.एम., श्री फाल्गुनी चौधरी, प्लांट एण्ड टेकनिकल कन्सल्टेंट, सलाहकार मेसर्स विमता इन्चायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री राघव राव एवं बीएच दुर्गा भवानी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रोजेक्ट हेतु 400 किलोवॉट घंटा बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। जिसका स्रोत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल होगा। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 1070 केवीए क्षमता के 02 डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
2. मोलासेस का उपयोग नहीं किया जावेगा। प्रोसेस में स्टीम के लिए बॉयलर स्थापित नहीं किया जायेगा। वेस्ट हीट बॉयलर से प्राप्त स्टीम का उपयोग किया जावेगा।
3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाट्रिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
4. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 60 घनमीटर/दिन (प्रोसेस हेतु 24 घनमीटर/दिन एवं डोमेस्टिक 36 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। अतिरिक्त जल की उपयोगिता हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पत्र क्रमांक 581 दिनांक 26/08/2015 द्वारा अनुमति लिया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उद्योग से मोलासेस उपयोग न करने बाबत घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे। चूंकि प्रस्तावित कार्यकलाप में विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में होना है। अतः इसके लिये सुरक्षित एवं पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की

दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य के द्वारा उद्योग का निरीक्षण किये जाने का भी निर्णय लिया गया। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदानुसार कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

**2. मेसर्स हिन्द पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इं) लिमिटेड, ग्राम-सीतापार, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (421)**

- ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक- आवेदन दिनांक 05/03/2016 को प्राप्त हुआ।
- प्रपोजल नम्बर- एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/10578/2016
- संस्था का नाम- हिन्द पावर एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इं) लिमिटेड, ग्राम-सीतापार, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- स्थल का पता- ग्राम-सीतापार, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- भूमि का क्षेत्रफल- खसरा नम्बर 232, 235/1, 235/2, 235/3, एवं 235/4, कुल एरिया 6.101 हेक्टेयर (15.07 एकड़), वेट टाईप कोल वॉशरी क्षमता- 0.96 मिलियन टन/वर्ष।
- भूमि की उपयोगिता का विवरण - मेन प्लांट एरिया 8.17 एकड़, रॉ-कोल स्टोरेज यार्ड 1.0 एकड़, वॉशड कोल स्टोरेज यार्ड 0.05 एकड़, वॉटर स्टोरेज एण्ड रेन वॉटर हार्वेस्टिंग 0.50 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 4.9 एकड़ है। इस प्रकार कुल एरिया 15.07 एकड़ है। भूमि कम्पनी के नाम पर है।
- इकाई का विनियोग - रूपये 14.9 करोड़
- 15 कि.मी. क्षेत्र में अन्य जानकारी - समीपस्थ आबादी 0.45 कि.मी., निकटतम शहर बलौदाबाजार 14.0 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन, हथबंद 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक एनएच-200, 10.0 किलोमीटर की दूरी पर है। जमुनिया नदी 3.9 कि.मी. एवं शिवनाथ 14.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। बीलारी घुघुवा रिजर्व फारेस्ट 7.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- जल उपयोग की मात्रा - लगभग 210 घनमीटर/दिन
- जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था- उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। क्लोज्ड सर्किट सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी।
- ठोस अपशिष्ट की मात्रा- रिजेक्ट कोल 0.24 एमटीपीए को पास के रिजेक्ट बेसड पावर प्लांटो को ईंधन के रूप में उपयोग करने हेतु दिया जावेगा।
- ग्रीन बेल्ट व्यवस्था- कुल क्षेत्र में से 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा।

- **अन्य विवरण** – परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पवन अग्रवाल, डायरेक्टर एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेबोर्ट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय एम रेड्डी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. स्थल का खसरा नम्बर 232, 235/1, 235/2, 235/3, एवं 235/4, कुल एरिया 6.101 हेक्टेयर (15.07 एकड़) है, जो ग्राम-सीतापार, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में स्थित है। यह प्रोजेक्ट वेट टाईप कोल वॉशरी का है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम – सीतापार 0.45 कि.मी., रेलवे स्टेशन हथबंध 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम – हथबंध 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा समीपस्थ सरफेस वॉटर बॉडी जामुनिया नदी 3.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. मुख्य प्लांट एरिया 3.0 एकड़, रॉ-कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉशड कोल स्टोरेज यार्ड 1.0 एकड़, रिजेक्ट्स स्टोरेज 0.5 एकड़, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग 1.0 एकड़, इन्टरनल रोड 2.0 एकड़, पार्किंग 0.5 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 5.07 एकड़ एरिया में है। इस प्रकार कुल एरिया 15.07 एकड़ में प्रस्तावित है।
4. वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन/वर्ष है। वॉशरी रिजेक्ट्स को रोड द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से मेसर्स स्वास्तिक पॉवर एण्ड मिनरल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड कोरबा के पॉवर प्लांट तक परिवहन किया जावेगा।
5. **मटेरियल बैलेंस** – रॉ-कोल 3000 टन/दिन, वॉस्ड कोल 2250 टन/दिन एवं रिजेक्ट कोल 750 टन/दिन होगा।
6. **जल उपयोग की मात्रा** – प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर/दिन (प्रोसेस 200 घनमीटर/दिन, डोमेस्टिक 10 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जिसका स्रोत भू-जल होगा। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।
7. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की

व्यवस्था की जायेगी। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

### 3. मेसर्स यूनिवर्ल्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अंजनी, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर (425)

- ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक- आवेदन दिनांक 25/04/2016 को प्राप्त हुआ।
- प्रपोजल नम्बर- एसआईए/सीजी/सीएमआईएन/10743/2016
- संस्था का नाम- यूनिवर्ल्ड इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-अंजनी, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर
- स्थल का पता- ग्राम-अंजनी, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-बिलासपुर
- भूमि का क्षेत्रफल- खसरा नम्बर 78, 127/4, 128, 138/1 एवं अन्य, कुल एरिया 15.0 एकड़, कोल वॉशरी क्षमता- 0.96 मिलियन टन/वर्ष (वेट टाईप कोल वॉशरी)।
- भूमि की उपयोगिता का विवरण - वॉशरी प्लांट 8.0 एकड़, रॉ-कोल स्टॉक यार्ड 1.0 एकड़ एवं वाशड कोल स्टोरेज यार्ड- 0.50 एकड़, वृक्षारोपण क्षेत्र-5.0 एकड़ है। इस प्रकार कुल एरिया 15.0 एकड़ है।
- इकाई का विनियोग - रूपये 15.4 करोड़
- 15 कि.मी. क्षेत्र में अन्य जानकारी - निकटतम शहर पेण्ड्रा 1.1 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन पेण्ड्रा 1.1 कि.मी. की दूरी पर है। मलघनिया रिजर्व वायर-6.0 कि.मी. मैकाल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट-8.0 कि.मी., धनौली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट-9.0 कि.मी., ग्राम अचानकमार रिजर्व फॉरेस्ट-9.0 कि.मी. है।
- मटेरियल बैलेंस - प्रतिदिन रॉ-कोल 3600-2800 टन, क्लिन कोल 4500-4700 टन एवं रिजेक्ट कोल 2200-2400 टन बताया गया है, जो कि सही आंकड़े नहीं है।
- जल उपयोग की मात्रा - प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर एवं 10 घनमीटर घरेलू उपयोग हेतु जल खपत होगा। जिसका स्रोत भू-जल होगा।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था - उद्योग द्वारा कोल जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोल क्लेशर में समस्त ट्रांसफर बिन्दुओं पर बैग फिल्टर एवं पॉकेट फिल्टर लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल टीपर के लिए अनलोडिंग पाईट में वाटर

स्प्रेईंग नोजल लगाया जावेगा। धूल एवं कंकड़ से बचाने हेतु सभी बेल्ट कन्व्हेयर्स को ऊपर एवं किनारों से ढका जावेगा। रॉ-कोल को ढँककर रखा जावेगा।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था**— उद्योग द्वारा घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी।
- **ठोस अपशिष्ट की जानकारी**— रिजेक्ट कोल को समीपस्थ पावर प्लांटों को बेच दिया जावेगा।
- **ग्रीन बेल्ट व्यवस्था**— कुल क्षेत्र में से 33.42 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का निर्माण किया जायेगा।
- **अन्य विवरण** — परियोजना क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा — 10.25 कि.मी., राष्ट्रीय उद्यान अचानकमार 9.0 कि.मी., अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।
- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** — एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि इस स्थल को चयन करने से पूर्व अन्य वैकल्पिक स्थलों के पर्यावरणीय दृष्टिकोण से तुलनात्मक अध्ययन संबंधी जानकारी, भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, मटेरियल बेलेंस की सही जानकारी एवं अन्य समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** — एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री पवन अग्रवाल, डायरेक्टर एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री वाय एम रेड्डी उपस्थित उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल रकबा 10.91 एकड़ में खसरा नं. 78 का रकबा 4.48 एकड़ गोरखपुर, खसरा नं. 127/4 का रकबा 0.74 एकड़, खसरा नं. 128 का रकबा 4.37 एकड़ एवं खसरा नं. 138/1 का रकबा 1.32 एकड़ ग्राम अंजनी, दोनों ग्रामों की रजिस्ट्री हो गयी है। शेष लगभग 4.09 एकड़ भूमि का एग्रीमेंट हो गया है।
2. स्थल का खसरा नं. 78, 127/4, 128, 138/1 एवं अन्य, क्षेत्रफल 15.0 एकड़ है, जो ग्राम — अंजनी एवं गोरखपुर, तहसील — पेण्डारोड, जिला — बिलासपुर में स्थित है। यह प्रोजेक्ट वेट टाईप कोल वॉशरी का है, जो हैवी मिडिया साइक्लोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है।
3. समीपस्थ आबादी ग्राम — अंजनी 0.6 कि.मी., रेलवे स्टेशन पेण्डारोड 1.1 कि.मी., स्कूल ग्राम — गौरेला 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। राज्यमार्ग 1.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा समीपस्थ सरफेस वॉटर बॉडी झागरा खण्ड पौण्ड 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

4. मुख्य प्लांट एरिया 3.2 एकड़, रॉ-कोल स्टोरेज यार्ड 2.0 एकड़, वॉशड कोल स्टोरेज यार्ड 1.0 एकड़, रिजेक्ट्स स्टोरेज 0.5 एकड़, वॉटर स्टोरेज एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग 1.0 एकड़, इन्टरनल रोड 1.8 एकड़, पार्किंग 0.5 एकड़ एवं ग्रीन बेल्ट 5.0 एकड़ एरिया में है। इस प्रकार कुल एरिया 15.0 एकड़ में प्रस्तावित है।
5. वॉशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन/वर्ष है। वॉशरी रिजेक्ट्स को रोड द्वारा ढंके हुए ट्रकों के माध्यम से मेसर्स स्वास्तिक पॉवर एण्ड मिनरल रिसोर्सेस कोरबा के पॉवर प्लांट तक परिवहन किया जावेगा।
6. मटेरियल बैलेंस – रॉ-कोल 3000 टन/दिन, वॉस्ड कोल 2250 टन/दिन एवं रिजेक्ट कोल 750 टन/दिन होगा।
7. जल उपयोग की मात्रा – प्रतिदिन लगभग 210 घनमीटर/दिन (प्रोसेस 200 घनमीटर/दिन, डोमेस्टिक 10 घनमीटर/दिन) जल खपत होगा। जिसका स्रोत भू-जल होगा। भूमिगत जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।
8. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था– उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित कोल वॉशरी स्थापित किया जावेगा। दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम की व्यवस्था की जावेगी। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता-0.96 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

#### 4. मेसर्स चीमा ब्रिक्स (प्रो. श्री जगबीर सिंह चीमा), ग्राम-बेलटुकरी, तहसील व जिला-महासमुंद (377)

- ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48341/2016, यह आवेदन दिनांक 08/02/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री जगबीर सिंह चीमा के द्वारा दिनांक 10/02/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
  - प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन एवं ईट उत्पादन इकाई (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 12, 13, 14, 3/1 एवं 3/2 ग्राम-बेलटुकरी, तहसील व जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 7.17 हेक्टेयर (17.71 एकड़) है। खदान की मिट्टी उत्खनन क्षमता-13,160 घनमीटर/वर्ष एवं ईट निर्माण क्षमता- 60,00,000 नग/वर्ष है।
  - प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन एवं ईट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-
1. ग्राम पंचायत बेलटुकरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।



2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला कार्यालय महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है। एल.ओ.आई. दिनांक 29/06/2015 को जारी किया गया है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 123/क/ख.लि/न.क./2016 महासमुंद दिनांक 02/02/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की सूची संलग्न की गई है, परन्तु वह अस्पष्ट है।

● प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-बेलटुकरी 2.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 129060 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 119465 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 113492 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.0 मीटर एवं चौड़ाई 1.0 मीटर है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर है। उपरी मिट्टी की मात्रा 5841 घनमीटर बताया गया है। उत्खनन ओपन कास्ट विधि से की जावेगी। प्रसंस्करण ईकाई के रूप में दो फिक्स चिमनी ब्रिक किल्न प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र में ईकाई का क्षेत्रफल 3010 वर्गमीटर है। कोयले की खपत 20 टन बताया गया है। चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। 40 प्रतिशत मात्रा में राख का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति समीपस्थ नदी/नाला से किया जाएगा। जल की खपत 6.0 किलोलीटर प्रति दिन है। राख का पुर्नउपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाता है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

**पहले पांच वर्षों की उत्पादन योजना**

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	5562.00	1.0	5562.00	9801.2
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	5299.00	0.8	4239.20	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	5737.00	1.0	5737.00	10274.6
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	5672.00	0.8	4537.60	
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	5779.00	1.0	5779.00	10327
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	5685.00	0.8	4548.00	
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	5869.00	1.0	5869.00	10493
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	5780.00	0.8	4624.00	
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	6261.00	1.0	6261.00	10916.2
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	5819.00	0.8	4655.20	
<b>कुल</b>			<b>51812.00</b>	

**पांचवे वर्ष के बाद की उत्पादन योजना**

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	6384.00	1.0	6384.00	11177.6

छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	5992.00	0.8	4793.60	
सातवे वर्ष प्रथम बेंच	6559.00	1.0	6559.00	11764.6
सातवे वर्ष द्वितीय बेंच	6507.00	0.8	5205.60	
आठवे वर्ष प्रथम बेंच	6676.00	1.0	6676.00	11943.2
आठवे वर्ष द्वितीय बेंच	6584.00	0.8	5267.20	
नौवे वर्ष प्रथम बेंच	7072.00	1.0	7072.00	12664.8
नौवे वर्ष द्वितीय बेंच	6991.00	0.8	5592.80	
दसवे वर्ष प्रथम बेंच	7400.00	1.0	7400.00	13160
दसवे वर्ष द्वितीय बेंच	7200.00	0.8	5760.00	
<b>कुल</b>			<b>60710.2</b>	

● **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 123/क/ख.लि/न.क्र./2016 महासमुंद दिनांक 02/02/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की सूची संलग्न की गई है परन्तु वह अस्पष्ट है।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाट्रिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत बेलटुकरी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
5. परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.आई.ए.ए.,छ.ग. के पत्र दिनांक 05/03/2016 द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी संबंधी पत्र लिखा गया था। उसके पश्चात भी आवेदित खदान से 5 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी प्रेषित की गई है। इस प्रकार लापरवाही पूर्वक जानकारी भेजी जा रही है, जिससे समिति का समय व्यर्थ होता है। उक्त जानकारी शीघ्र भेजने हेतु अनुरोध किया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों, 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की प्रमाणित जानकारी एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जगबीर सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जमीन श्री जगबीर सिंह, श्री जशपाल सिंह, श्री जागरूप सिंह एवं श्री गुरुमुख सिंह के नाम पर है, जो फर्म में पार्टनर है।
2. प्रस्तावित खदान से 50 मीटर की दूरी पर कोडार नाला स्थित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के द्वारा प्रेषित आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी स्पष्ट नहीं है।
4. नदी/नाले से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखते हुए एल.ओ.आई. में परिवर्तन एवं तदानुसार संशोधित माईनिंग प्लान आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों, 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों की प्रमाणित जानकारी, एल.ओ.आई. में परिवर्तन एवं तदानुसार अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान मंगाया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

#### 5. मेसर्स चीमा ब्रिक्स, ग्राम-तुमगांव, तहसील व जिला-महासमुंद (382)

- ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 48406/2016, यह आवेदन दिनांक 08/02/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक श्री जगबीर सिंह चीमा के द्वारा दिनांक 17/02/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन एवं ईट उत्पादन ईकाई (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 2584, 2585, 2586/2, 2586/3, 2586/4, 2586/5, 2586/6, 2587, 2588, 2595/1, 2595/2, 2595/3, 2598, 2599, 2600, 2603/1, 2604/1, 2604/2, 2605/1, 2605/2, 2622, 2627/1, 2627/2, 2628/1, 2616, 2617/1, 2617/2, 2618/1, 2618/2, 2618/3, 2618/6, 2619/1, 2623/4, 2794/1, 2789, 2788/1 एवं 2788/3 ग्राम-तुमगांव, तहसील व जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 8.612 हेक्टेयर (21.28 एकड़) है। खदान की मिट्टी उत्खनन क्षमता-13736.6 घनमीटर/वर्ष एवं ईट निर्माण क्षमता- 61,00,000 नग/वर्ष है।
- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज उत्खनन एवं ईट उत्पादन इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:-
  1. नगर पंचायत तुमगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
  2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनिज अधिकारी, जिला कार्यालय महासमुंद छत्तीसगढ़ द्वारा अनुमोदित है।
  3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद के द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 366/क/ख.लि/न.क./2016 महासमुंद दिनांक 18/03/2016 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य स्वीकृत खदान क्षेत्र /केशर प्लांट/कटिंग पॉलिसिंग/ईट भट्ठा स्थापित नहीं है।
- प्रस्ताव की सामान्य जानकारी -

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-तुमगांव 2.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. की दूरी पर है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 155016 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 127854 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 121461 घनमीटर है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2.0 मीटर है। उपरी मिट्टी की मात्रा 14500 घनमीटर बताया गया है। उत्खनन ओपन कास्ट विधि से की जावेगी। प्रसंस्करण ईकाई के रूप में ब्रिक किल्न प्रस्तावित है। लीज क्षेत्र में इकाई का क्षेत्रफल 0.877 हेक्टेयर है। कोयले की खपत 20 टन बताया गया है। चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। 40 प्रतिशत मात्रा में राख का उपयोग किया जावेगा। जल की आपूर्ति समीपस्थ नदी/नाला से किया जाएगा। जल की खपत 6.0 किलोलीटर प्रति दिन है। राख का पुर्नउपयोग ईट निर्माण में किया जाता है। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाता है। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

### पहले पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	6676.00	1.0	6676.00	11628.8
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	6191.00	0.8	4952.80	
द्वितीय वर्ष प्रथम बेंच	6781.00	1.0	6781.00	11840.2
द्वितीय वर्ष द्वितीय बेंच	6324.00	0.8	5059.20	
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	6835.00	1.0	6835.00	12092.6
तृतीय वर्ष द्वितीय बेंच	6572.00	0.8	5257.60	
चतुर्थ वर्ष प्रथम बेंच	7038.00	1.0	7038.00	12550
चतुर्थ वर्ष द्वितीय बेंच	6890.00	0.8	5512.00	
पंचम वर्ष प्रथम बेंच	7214.00	1.0	7214.00	12758
पंचम वर्ष द्वितीय बेंच	6930.00	0.8	5544.00	
<b>कुल</b>			<b>60869.6</b>	

### पांचवे वर्ष के बाद की उत्पादन योजना

वर्षवार उत्पादन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	आयतन प्रति वर्ष
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	7419.00	1.0	7419.00	13138.2
छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	7149.00	0.8	5719.20	
सातवे वर्ष प्रथम बेंच	7504.00	1.0	7504.00	13252
सातवे वर्ष द्वितीय बेंच	7185.00	0.8	5748.00	
आठवे वर्ष प्रथम बेंच	7620.00	1.0	7620.00	13434.4
आठवे वर्ष द्वितीय बेंच	7268.00	0.8	5814.40	
नौवे वर्ष प्रथम बेंच	7707.00	1.0	7707.00	13736.6
नौवे वर्ष द्वितीय बेंच	7537.00	0.8	6029.60	
दसवे वर्ष प्रथम बेंच	7710.00	1.0	7710.00	13310
दसवे वर्ष द्वितीय बेंच	7000.00	0.8	5600.00	

कुल		66871.2	
-----	--	---------	--

● पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

● प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:-

1. खदान से 50 मीटर की दूरी पर कोडार नाला है। अतः कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-महासमुंद से इस बाबत जारी नवीन नोटिफिकेशन (100 मीटर की दूरी पर खदान होने) के परिपेक्ष्य में स्पष्ट जानकारी मंगाई जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

● समिति द्वारा विचार - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री जगबीर सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जमीन श्री जगबीर सिंह, श्री जशपाल सिंह, श्री जागरूप सिंह, श्री गुरुमुख सिंह, श्रीमती परमजीत कौर, श्रीमती भूपेन्द्र कौर, श्रीमती इन्द्रजीत कौर, श्रीमती जशप्रीत कौर एवं श्री बुधराम कुल 09 लोगों के नाम पर है।

2. खदान से पश्चिम दिशा पर 100 मीटर से अधिक की दूरी पर तथा दक्षिण-पूर्वी दिशा में 50 मीटर से कम की दूरी पर कोडार नाला स्थित है।

3. नदी/नाले से कम से कम 100 मीटर की दूरी रखते हुए एल.ओ.आई. में परिवर्तन एवं तदानुसार संशोधित माईनिंग प्लान आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों, एल.ओ.आई. में परिवर्तन एवं तदानुसार अनुमोदित संशोधित माईनिंग प्लान मंगाया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

6. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए यूनिट आफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड) उरला इण्ड. एरिया, ग्राम-उरला, जिला-रायपुर (429 A)

● ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी / 10814/2016, यह आवेदन दिनांक 22/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/03/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

● प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल 1,00,000 टन/वर्ष से 1,85,000 टन/वर्ष हेतु टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया है। जो कि प्लॉट नं 490/1, उरला इण्डस्ट्रियल

काम्प्लेक्स, उरला जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भूमि 7.899 हेक्टेयर है। प्रोजेक्ट की संचालित इकाई की लागत रूपये 38.49 करोड़ है। क्षमता विस्तार से कैपिटल कास्ट में वृद्धि नहीं होना बताया गया है।

- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा टी.ओर. आर /पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत फार्म 01, प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।
- प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-
- उद्योग से समीपस्थ रेल्वे स्टेशन रायपुर 10 किलोमीटर तथा रायपुर एयरपोर्ट 20 किलो मीटर की दूरी पर है। समीपस्थ आबादी रायपुर शहर 8.0 किलोमीटर की दूरी पर होने की जानकारी दी गई है।
- रोलिंग मिल में रॉ मटेरियल के रूप में माईल्ड स्टील बिलेट्स, स्लैब्स या ब्लूमस-196563 टन/वर्ष का उपयोग किया जावेगा। उद्योग में स्थापित चिमनी की ऊंचाई 44 मीटर है।
- वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर स्थापित किया गया है। उद्योग द्वारा 12,000 सामान्य घनमीटर क्षमता के कोल गेसीफायर हेतु 16,650 टन/वर्ष कोयले का उपयोग किया जाना बताया गया है। चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मि.ग्राम/सामान्य घनमीटर तक सीमित रखा जाना प्रस्तावित है।
- फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्योग की रोलिंग मिल इकाई से ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न मिल स्केल कुल मात्रा 320 टन/माह को अपनी फेरो/एसएमएस कुल इकाईयों में पुर्नउपयोग तथा विलंकर ऐष कुल 350 टन/माह को स्वयं के ब्रिक प्लांट एवं ब्रिक निर्माताओं को विक्रय किया जाएगा।
- उद्योग को मेकअप वॉटर के रूप में 30 कि.ली./दिन जल की आवश्यकता होगी। आवश्यक जल की आपूर्ति सीएसआईडीसी लिमिटेड से की जावेगी।
- कुल 7.899 हेक्टेयर भूमि में से 2.808 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण की संख्या 4260 बताई गई है।
- उद्योग को पूर्व में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल 42,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 1,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष हेतु पत्र दिनांक 06/01/2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
- प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया।

प्रस्तुतीकरण के लिए कोई भी उद्योग प्रतिनिधी उपस्थित नहीं हुए। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर ही आगामी कार्यवाही की जावे।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जावे।

**7. मेसर्स बी. आर. के. डेव्हलपर्स एण्ड माईनर्स (प्रो-श्रीमती शिल्पा कपूर), ग्राम-अकोलडीह-खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर (430)**

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 52166/2016, यह आवेदन 25/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं श्रीमती शिल्पा कपूर, प्रोपराईटर द्वारा दिनांक 06/04/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान खसरा नं. 410, 411/1,2,3,4, 412, 413, 414/1,2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1,2, 423/1,2, 426, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1,2,3, 443, 446 एवं 447, ग्राम-अकोलडीह-खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 7.87 हेक्टेयर में स्थित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,20,000 टन/वर्ष है। लीज क्षेत्र में कशर की स्थापना की जायेगी।

- प्रस्तुत आवेदन के माईनिंग प्लान, फॉर्म-1, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र में दर्शाए गये खसरा नं. में भिन्नता पायी गयी है।

- **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं :-

1. ग्राम पंचायत धनसुली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि. प्रशासन), जिला-रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1299/ख.लि. /तीन-6/उ.प. 65/2016, रायपुर, दिनांक 09/06/2016 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 500 मीटर परिधि में 08 खदानें कुल रकबा 10.72 हेक्टेयर है। आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम-अकोलडीह-खपरी) का रकबा 7.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम-अकोलडीह-खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 18.59 हेक्टेयर है।

- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-अकोलडीह लगभग 0.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 8.40 कि.मी. की दूरी पर है।

2. **एल.ओ.आई. की जानकारी :-** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/01/2016 के द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृति हेतु सैद्धांतिक निर्णय लिया गया है।
3. जियोलॉजिकल रिजर्व 1,96,75,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 54,73,750 टन है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 80325 मीटर होगी। रीजेक्ट की मात्रा लगभग 174074 टन होगी। अनुमानित खनिज भण्डार लगभग 5473750 टन है। खनन की अधिकतम गहराई ऊपरी सतह से 37.5 मीटर होगी। उत्खनन ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड सिस्टम से किया जाता है। 200 टी.पी.एच क्षमता के दो कशर लगाया जाना प्रस्तावित है। प्रसंस्करण का क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर होगा। 1.6 कि.ली. घरेलू दूषित जल उत्पन्न होगा। गारलैण्ड डैन का निर्माण किया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जावेगा। वर्षवार उत्खनन कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

### पहले पांच सालों के लिए उत्पादन की योजना

वर्ष	पीट की अधिकतम गहराई (एमआरएल में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
प्रथम वर्ष	260.50	17,850
द्वितीय वर्ष	260.50	16,850
तृतीय वर्ष	260.50	13,300
चतुर्थ वर्ष	242.50	12,000
पंचम वर्ष	242.50	10,500
षष्ठम वर्ष	236.50	4,500
सप्तम वर्ष	236.50	4,500
अष्टम वर्ष	230.50	4,000
नवम वर्ष	230.50	4,000
दसवां वर्ष	224.50	7,200

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार -** एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1299/ख.लि. /तीन-6/उ.प. 65/2016, रायपुर, दिनांक 09/06/2016 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार 500 मीटर परिधि में 08 खदानें कुल रकबा 10.72 हेक्टेयर है। आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम-अकोलडीह-खपरी) का रकबा 7.87 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित चूना पत्थर खदान (ग्राम-अकोलडीह-खपरी) को मिलाकर कुल रकबा 18.59 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।



4. ग्राम पंचायत धनसुली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री राजीव कपूर, डायरेक्टर, श्री एस.वी. कृष्णा, मैनेजर एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्चायरो लेबोराट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-अकोलडीह-खपरी लगभग 0.75 कि.मी. एवं ग्राम-मुंगी 1.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन 16 कि.मी. की दूरी पर है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्रिलिंग हेतु जैक हैमर एवं हेल्को ड्रिल का उपयोग किया जावेगा। कन्ट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जावेगा। विभिन्न प्रक्रियाओं हेतु जल की खपत 25 किलोलीटर/दिन (डोमेस्टिक हेतु 2 किलोलीटर/दिन एवं डस्ट सप्रेषण हेतु 23 किलोलीटर/दिन) है। जिसका स्रोत भू-जल होगा।
3. कशर क्षमता – 2X200 टीपीएच का लगाया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 410, 411/1,2,3,4, 412, 413, 414/1,2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422/1,2, 423/1,2, 426, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1,2,3, 443, 446 एवं 447, ग्राम-अकोलडीह-खपरी, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, कुल लीज क्षेत्र 7.87 हेक्टेयर में चूना पत्थर खदान एवं कशर उत्खनन क्षमता-7,20,000 टन /वर्ष हेतु संलग्न-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

8. **भारतीय प्रबन्ध संस्थान, रायपुर, ग्राम-चेरिया एवं पोता, तहससील-अमनपुर, जिला-रायपुर (369)**

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / आईएनडी / 48111/2016, यह आवेदन दिनांक 05/02/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दिनांक 29/03/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

- **प्रस्ताव का विवरण** – भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय का यह एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान है जो कि खसरा क्रमांक 1,2,3,4,5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1/2, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 का भाग, 56, 57, 58, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, पटवारी हल्का नं 141/28, ग्राम-चेरिया एवं खसरा क्रमांक- 637, 638, 664, 665,

666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678 पटवारी हल्का नं 141 ग्राम-पोता, तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का प्लॉट एरिया 809200 वर्गमीटर एवं बिल्टअप एरिया-147261 वर्गमीटर (दो चरणों में) होगा, जिसमें मुख्य रूप से यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, रेसिडेसियल कालोनी तथा सोशल एवं कल्चरल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का निर्माण किया जावेगा। कुल पार्किंग एरिया 36875 वर्गमीटर होगा।

- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारतीय प्रबन्ध संस्थान के निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत फार्म 01, फार्म 01ए एवं कन्सेप्चुअल प्लान जमा कराये गये हैं।

● **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-**

- निकटतम शहर नया रायपुर 6.0 कि.मी, एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 36 कि.मी. एवं नया रायपुर एअर पोर्ट 23 कि.मी. की दूरी पर है।

- प्रोजेक्ट हेतु कुल 1203 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित है जिसमे से 852 कि.ली प्रतिदिन फ़ेस वॉटर तथा 351 कि.ली. प्रति/दिन एसटीपी उपचारित जल होगा। जल की आपूर्ति स्वयं के बोरवेल एवं नया रायपुर विकास प्राधिकरण से किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग हॉर्टिकल्चर, फलशिंग एवं फ्लोर वाशिंग आदि कार्यों में किया जावेगा।

- प्रोजेक्ट हेतु 3.6 मेगावॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 1010 केवीए क्षमता के 02 डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।

- प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:-

1. ले-आउट प्लान एवं बिल्डिंग प्लान अप्रुवल संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए डॉ पी.आर. एस. शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं श्री दीपक तनेजा, ए.आर.सी.ओ.पी. उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. स्थल ग्राम-चेरिया पटवारी हल्का नं 141/28 एवं ग्राम-पोता पटवारी हल्का नं 141 तहसील-अभनपुर, जिला-रायपुर में प्रस्तावित है।

2. समीपस्थ बस स्टेशन सेक्टर-27, नया रायपुर 5.0 कि.मी., रेल्वे स्टेशन 36 कि.मी. स्थित है।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 15 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. अधिसूचना का.आ. 3252 (अ), दिनांक 22/12/2014, श्रेणी '8(ए)' के अनुसार सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 09/06/2015 में भवन परियोजनाओं के लिये सलग्न दिशा निर्देशों का पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 1768 दिनांक 23/02/2015 के द्वारा ग्रामीण एवं नगर निवेश विभाग की विकास अनुज्ञा बाबत अनुमति दी गई है। इसी प्रकार भवन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, महानदी भवन के समीप, यूटिलिटी ब्लॉक कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर-19, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 434 दिनांक 23/01/2016 के द्वारा भवन निर्माण अनुज्ञा बाबत अनुमति दी गई है।
6. भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना का.आ. 3252 (अ), दिनांक 22/12/2014 जारी किया गया है, जिसके अनुसार श्रेणी '8(ए)' के तहत भवन और संनिर्माण परियोजनाओं या कार्यकलापों में औद्योगिक शेड, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था के लिये हॉस्टल निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 09/06/2015 द्वारा उपरोक्त प्रावधान के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि:-

"Notification No. S.O. 3252 (E) dated 22/12/2014 provides exemption to buildings of educational institutions including universities from obtaining prior Environment Clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006 subject to sustainable environmental Management. In case of medical universities / institutes the component of Hospitals will continue to require prior Environment Clearance."

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विचाराधीन परियोजना अर्थात् विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान होने के कारण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची में उल्लेखित मद(8) भवन या संनिर्माण परियोजनाएँ या नगरीय और क्षेत्र विकास परियोजनाएँ के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

9. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम (कॉमन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी), ग्राम-कछार, तहसील व जिला-बिलासपुर (435)

- ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति दिनांक – यह आवेदन दिनांक 24/12/2015 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 11/04/2016 को प्राप्त हुआ है।

- **प्रपोजल नम्बर** – एसआईए / सीजी / एमआईएस / 10306 / 2016
- **परियोजना का नाम** – मेसर्स नगर पालिक निगम, बिलासपुर (कॉमन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी)
- **परियोजना का पता** – खसरा नं. 1359 एवं 1052, ग्राम-कछार, तहसील व जिला-बिलासपुर
- **भूमि का क्षेत्रफल** – 10 हेक्टेयर
- **परियोजना की लागत** – रुपये 2541 लाख
- **समीपस्थ आबादी** – ग्राम-कछार 15 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ रेलवे स्टेशन उसलापुर लगभग 8.0 कि.मी. की दूरी पर, बिलासपुर एयरपोर्ट दक्षिण दिशा में लगभग 25 कि.मी. एवं बिलासपुर सिटी दक्षिण-पूर्व दिशा में लगभग 11 कि.मी. दूर है।
- **जल उपयोग की मात्रा** – 50 कि.ली./दिन
- **विद्युत खपत** – विद्युत आपूर्ति छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित से किया जावेगा। साथ ही वेकप हेतु डीजी सेट 750 केव्हीए की स्थापना की जावेगी।
- **प्रस्ताव का विवरण** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, आरडीएफ क्षमता-100 टीपीडी एवं कम्पोस्ट प्लांट क्षमता – 150 टीपीडी हेतु टीओरआर/पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत आवेदन किया गया है। जो कि प्लाट/खसरा नं. 1359 एवं 1052, ग्राम-कछार, तहसील व जिला-बिलासपुर में प्रस्तावित है। कुल एरिया 10.0 हेक्टेयर (25 एकड़) है। यह भूमि नगर पालिक निगम, बिलासपुर के आधिपत्य में है।
- **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-**
  - प्रस्तावित उद्योग से समीपस्थ आबादी 0.2 कि.मी. है। प्रस्तावित उद्योग से रेलवे स्टेशन उसलापुर 8.0 किलोमीटर की दूरी पर है। बिलासपुर एयरपोर्ट 25 कि.मी. से अधिक दूरी पर है। अरपा नदी 600 मीटर की दूरी पर है। भू-जल लगभग 8.0 मीटर की गहराई पर है।
  - वर्तमान में 181 मीट्रिक टन/दिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होगा, जिसमें से 15 प्रतिशत खाद, 16 प्रतिशत आरडीएफ, 20 प्रतिशत निष्क्रिय, 03 प्रतिशत कचरा, 41 प्रतिशत मॉईश्चर लॉस एवं 03 प्रतिशत स्क्रेप होगा। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था की जावेगी। उद्योग हेतु कुल 50 किलोलीटर/दिन जल खपत प्रस्तावित है।
  - **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि :-
    - 1. भू संबंधी दस्तावेज एवं साईट प्लान संबंधी जानकारी मंगायी जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 04/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री सौमिल चौबे, कमीशनर, श्री कृष्णा कुमार, जनरल मैनेजर, श्री प्रणव द्विवेदी, असिस्टेंट कन्सल्टेंट एवं श्री पी.के. पंचोईंग, कार्यपालन अभियंता उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. स्थल का खसरा नं. 1359 (10.0 एकड़) एवं 1052 (15.0 एकड़), ग्राम-कछार, तहसील व जिला-बिलासपुर में प्रस्तावित है। कुल एरिया 10.0 हेक्टेयर (25 एकड़) है। यह भूमि नगर पालिक निगम, बिलासपुर के आधिपत्य में है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम – कछार एवं रेलवे स्टेशन उसालपुर लगभग 8.0 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा समीपस्थ सरफेस वॉटर बॉडी अरपा नदी लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3. बिलासपुर में उत्पन्न अपशिष्ट का स्रोत – घरेलू से 146 टन/दिन, कामर्सियल संस्थाओं से 22 टन/दिन एवं अन्य 14 टन/दिन है, इस प्रकार कुल 181 टन/दिन अपशिष्ट की मात्रा प्राप्त होगी।
4. बिलासपुर के अन्तर्गत डम्प साईट :- मंगला, वार्ड नं. 09, एरिया 27.0 एकड़, 5.0 कि.मी. की दूरी पर, व्यापार विहार एरिया 03 एकड़, 2.0 कि.मी. की दूरी पर एवं सिमरिती वन (बैक यार्ड) एरिया 2.0 एकड़, 2.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. मटेरियल बैलेंस –

Conversion process	Quantum (MT)	Percentage (%)
Input	181	100
Compost	27	15
RDF	29	16
Inert	36	20
C&D Waste	5.5	3
Moisture loss	74	41
Recyclables	4	2
Scrap	5.5	3

6. जल की खपत 50 किलोलीटर/दिन है। ग्राउण्ड वॉटर लेवल 8.0 मीटर है। शून्य निस्सारण हेतु सीवेज वॉटर ट्रीटमेंट बनाया जायेगा। लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जायेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी-1 कटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर

प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन 2006 में वर्णित श्रेणी 7(आई) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कॉम्युनिटी मुनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी हेतु जारी करने का निर्णय लिया गया। एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

## 10. मेसर्स चैतन्य ग्रीन्स ग्राम-सड्डू, केंटिल सिटी फेज-3 के सामान्य जानकारी जिला-रायपुर (439)

- ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / आईएनडी 52743/2016, यह आवेदन दिनांक 11/04/2016 के द्वारा ऑनलाईन परियोजना प्रस्तावक के द्वारा दिनांक 11/04/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण - यह एक मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है कि ग्राम-सड्डू जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का कुल प्लॉट एरिया 170 वर्गमीटर तथा बिल्टअप एरिया 26567.00 वर्गमीटर है। इस प्रोजेक्ट में 01 बीएचके- 98 युनिट, 02 बीएचके- 160 युनिट, 03 बीएचके- 104 युनिट एवं 01 क्लब हाउस व 01 कामर्शियल ब्लॉक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कुल पार्किंग एरिया 359.74 वर्गमीटर होगा।
- प्रोजेक्ट की लागत - 56.50 करोड़
- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत फार्म 01, फार्म 02 एवं कन्सेप्चुअल प्लान जमा कराये गये हैं।
- प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-
- निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 7.5 कि.मी. एवं रायपुर एअर पोर्ट 11.5 कि.मी. की दूरी पर है।
- प्रोजेक्ट हेतु 343 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित था। जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 229 कि.ली प्रति/दिन फ्रेश वॉटर एवं शेष मात्रा की आपूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल से किया जाना प्रस्तावित था।
- प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 300 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग हॉर्टिकल्चर, डीजी कुलिंग आदि कार्यों में किया जावेगा।
- रेसीडेन्शियल अपार्टमेंट के ऑपरेशनल स्टेज में 1438 किलोवॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 250 क्वीए का 01 डी.जी. ट्रांसफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है।
- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा कुल 1200 किलोग्राम/दिन होगी, जिसे एक कंटेनर द्वारा जाकर स्थानीय वेंडर को दिया जाएगा।
- ग्रीन बेल्ट व्यवस्था - ग्रीन बेल्ट 3490 वर्गमीटर में प्रस्तावित है।
- कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग विधान सभा संभाग रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 11/12/2013 के माध्यम से सड़क पहुंच मार्ग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दी गई।

नगर निगम रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 10/07/2015 द्वारा कालोनी के विकास की अनुमति तथा पत्र दिनांक 30/01/2016 द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा पत्र संलग्न किया गया है साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर द्वारा जारी विकास अनुज्ञा पत्र दिनांक 09/02/2015 की प्रति संलग्न की गई है।

- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि :-

1. वृक्षारोपण की स्पष्ट योजना, एरिया स्टेटमेंट को नक्शे में दर्शाते हुए, ले-आउट प्लान मंगाया जावे।
2. भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी-1 नकल) की मूल प्रति भी पुष्टि हेतु मंगाया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री अशोक खुबचंद, डायरेक्टर उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. घरेलू दूषित जल की मात्रा, वृक्षारोपण पूर्ण जानकारी क्षेत्रफल की गणना सहित, वॉटर हार्वेस्टिंग की संशोधित जानकारी आवश्यक है। यह जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की गई।
2. यह एक मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जो कि खसरा नं. 313/1, 2, 320, 322/1, 2, 3, 4, ग्राम-सड्डू तहसील व जिला-रायपुर, कुल एरिया 1.7 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट का कुल प्लॉट एरिया 15126 वर्गमीटर, बिल्टअप एरिया 26567.0 वर्गमीटर तथा ग्राउण्ड कवरेज एरिया 4537.0 वर्गमीटर है।
3. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
4. निकटतम शैक्षणिक संस्था भावांश, रायपुर 0.5 कि.मी. एवं डी.पी.एस., रायपुर 5.0 कि.मी., समीपस्थ रेल्वे स्टेशन 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
5. संशोधित जानकारी अनुसार प्रोजेक्ट हेतु 314 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति भू-जल एवं रायपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन से किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें से 138 कि.ली./दिन फ्रेश वॉटर एवं शेष मात्रा (फ्लशिंग 74 कि.ली./दिन, हार्टीकल्चर 66 कि.ली./दिन, कार वॉशिंग 22 कि.ली./दिन, क्लनिंग हेतु 14 कि.ली./दिन) की आपूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से

उपचारित जल से की जावेगी। 196 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है।

6. संशोधित जानकारी अनुसार रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की स्थापना की जावेगी। 05 नगरिचार्ज पिट्स बनाया जावेगा, जिसकी क्षमता 35 घनमीटर होगी एवं ग्रीन बेल्ट 2326 वर्गमीटर में प्रस्तावित है, जो कुल क्षेत्र का 14.34 प्रतिशत होता है।
7. ठोस अपशिष्ट की मात्रा 1200 किलोग्राम/दिन (परमानेंट रेसिडेंट 1140 किलोग्राम/दिन, कामर्सियल ब्लॉक 30 किलोग्राम/दिन एवं क्लब हाउस 30 किलोग्राम/दिन) उत्पन्न होगा, जिसका प्रकार कम्पोस्टेबल फूड वेस्ट 720 किलोग्राम/दिन, रिसाईक्लेबल 360 किलोग्राम/दिन एवं इनर्ट 120 किलोग्राम/दिन है।
8. डी.जी. सेट हेतु एकास्टिक इंकलोजर की व्यवस्था की जावेगी। ऊर्जा संरक्षण हेतु लिफ्ट, लॉबी एवं सार्वजनिक स्थलों पर एल.ई.डी. लाईटिंग की व्यवस्था की जावेगी। लेण्ड स्केपिंग पर सोलर आधारित एल.ई.डी. लाईटिंग की व्यवस्था की जावेगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 313/1, 2, 320/322/1, 2, 3, 4, कुल एरिया 1.7 हेक्टेयर, ग्राम-सड्डू जिला-रायपुर, प्लॉट एरिया 15126 वर्गमीटर तथा बिल्टअप एरिया 26567 वर्गमीटर हेतु संलग्न-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

#### 11. मेसर्स अविनाश बिल्डर्स (अविनाश आशियाना), ग्राम-कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला-रायपुर (442)

- ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एनसीपी / 53071 / 2016, यह आवेदन दिनांक 22/04/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/05/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण - यह एक मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खसरा नं. 4/2, 4/3, 6/1 (पी), 4/5, 4/11, 6/3(पी), 4/6, 4/7, 6/4 (पी), ग्राम-कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भू-क्षेत्र-19980 वर्गमीटर (1.998 हेक्टेयर) तथा कुल बिल्टअप एरिया 31784.89 वर्गमीटर है। इस प्रोजेक्ट में ब्लॉक ए से एच तक का निर्माण किया जाएगा। 01 बीके-270, 01 बीएचके-324 एवं 02 बीएचके के 240 युनिट कुल 834 युनिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग 06 मंजिला होगी। कुल पार्किंग एरिया 9895.08 वर्गमीटर होगा।
- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत फार्म 01, फार्म 01ए एवं कन्सेप्टुअल प्लान जमा कराये गये हैं।

- प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-



- उक्त परियोजना रायपुर शहर के अंदर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन सरस्वती नगर 1.85 कि.मी. एवं रायपुर एअर पोर्ट 17 कि.मी. की दूरी पर है।
- प्रोजेक्ट निर्माण हेतु 25 कि.ली./दिन तथा निर्माण के पश्चात् 226 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित है। प्रारंभ में जल की आपूर्ति भू-जल से की जावेगी तत्पश्चात् आपरेशनल फेज में जल की आपूर्ति रायपुर नगर निगम से किया जाना प्रस्तावित है।
- घरेलू दूषित जल की मात्रा 204 कि.ली प्रतिदिन तथा फ्लशिंग से 113 घनमीटर प्रतिदिन, 17 घनमीटर प्रतिदिन हार्टिकल्चर, 25 घनमीटर प्रतिदिन वाशिंग इस प्रकार कुल 317 कि.ली प्रतिदिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 350 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित 155 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग हॉर्टिकल्चर, फ्लशिंग एवं फ्लोर वाशिंग आदि कार्यों में किया जावेगा। लगभग 132 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित दूषित जल को निस्सारित किया जावेगा।
- प्रोजेक्ट निर्माण के समय 25 किलोवॉट तथा रेसीडेन्शियल अपार्टमेंट के ऑपरेशनल स्टेज में 1450 किलोवॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 केवीए क्षमता का 01 डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा कुल 1257 किलोग्राम/दिन होगी, जिसे कलेक्शन बिन के माध्यम से एकत्रित किया जाकर डाउन स्ट्रीम कन्ज्यूमर्स/डिस्पोजल साईट में भेजा जायेगा। एस.टी.पी. स्लज की मात्रा 25 कि.ग्राम/दिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाया जाकर हॉर्टिकल्चर में किया जावेगा। लगभग 754 किलो ग्राम प्रतिदिन बायो डी-ग्रेडेबल वेस्ट को कम्पोस्टिंग कर खाद बनाया जावेगा। लगभग 377 किलोग्राम प्रतिदिन रि-साईक्लेबल वेस्ट को विक्रय किया जावेगा। लगभग 126 किलोग्राम प्रतिदिन को लैंडफिल हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।
- प्रोजेक्ट में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- वृक्षारोपण हेतु लगभग 2517 वर्गमीटर क्षेत्र रखा गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम द्वारा दिनांक 07/02/2015 को जारी भवन निर्माण अनुज्ञा के प्रति जमा कराई गई है।
- **प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार** –एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि :-
  1. वृक्षारोपण की स्पष्ट योजना एवं ले-आउट प्लान मंगाया जावे।
  2. भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (मूल प्रति सहित) मंगाया जावे।
  3. भू-जल उपयोग संबंधी जानकारी मंगाया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

- **समिति द्वारा विचार** – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री प्रियंक सिघानिया, डायरेक्टर, श्री आनंद सिघानिया, एम.डी, श्री ओ.पी. श्रीवास्ताव, एकजिक्वुटिव एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की लागत 58 करोड़ है।
2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।
3. समीपस्थ शैक्षणिक संस्था सेन्ट्रल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 900 मीटर एवं एन. आई.टी. रायपुर 1.85 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.8 कि.मी. की दूरी पर है। समीपस्थ सर्फेस वॉटर बॉडी खारून नदी 5.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
4. प्रोजेक्ट हेतु 381 घनमीटर/दिन जल खपत होना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति रायपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन से किया जाना प्रस्तावित है जिसमें से 226 घनमीटर/दिन फ्रेश वॉटर एवं शेष मात्रा (फलशिंग 113 घनमीटर/दिन, हार्टिकल्चर 17 घनमीटर/दिन, फ्लोर एवं कॉमन एरिया वॉशिंग 25 घनमीटर/दिन) की आपूर्ति पूनः उपचारित जल से की जावेगी। 350 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 4/2, 4/3, 6/1 (पी), 4/5, 4/11, 6/3(पी), 4/6, 4/7, 6/4 (पी), ग्राम-कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला-रायपुर, कुल भू-क्षेत्र-19980 वर्गमीटर (1.998 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप एरिया 31784.89 वर्गमीटर हेतु **संलग्न-03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

## 12. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, (अविनाश प्राईड), ग्राम-हीरापुर (जरवाय एलियाज), तहसील व जिला-रायपुर (445)

- **ऑनलाईन आवेदन** – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एनसीपी / 53120 /2016, यह आवेदन दिनांक 23/04/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 04/05/2016 को प्रस्तुत किया गया है।
- **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक मल्टीस्टोरी रेसीडेन्शियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, जो कि खसरा नं. 230/1, 230/5, 230/7-9, 231/1-4 एवं 613/1, ग्राम-हीरापुर (जरवाय), तहसील व जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भू-क्षेत्र- 1.602 हेक्टेयर (15993 वर्गमीटर) तथा कुल बिल्टअप एरिया 22586.72 वर्गमीटर है। इस प्रोजेक्ट में ब्लॉक ए से आई तक का निर्माण किया जाएगा। 01 बीएचके-54, 02 बीएचके के

264 एवं 03 बीएचके के 102 युनिट कुल 420 युनिट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। मल्टीस्टोरी बिल्डिंग 06 मंजिला होगी।

- प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा मल्टीस्टोरी रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत फार्म 01, फार्म 01ए एवं कन्सेप्चुअल प्लान जमा कराये गये हैं।
- प्रस्ताव की सामान्य जानकारी :-
- उक्त परियोजना रायपुर शहर के अंदर है। निकटतम रेल्वे स्टेशन सरोना 1.60 कि. मी. एवं रायपुर एअर पोर्ट 19.5 कि.मी. की दूरी पर है। खारून नदी की दूरी 3.0 कि. मी. है।
- प्रोजेक्ट निर्माण हेतु 25 कि.ली./दिन तथा निर्माण के पश्चात् 133 कि.ली./दिन जल खपत होना प्रस्तावित है। प्रारंभ में जल की आपूर्ति भू-जल एवं टैंकर के माध्यम से की जावेगी तत्पश्चात् आपरेशनल फेज में जल की आपूर्ति रायपुर नगर निगम से किया जाना प्रस्तावित है।
- घरेलू दूषित जल की मात्रा 120 घनमीटर/दिन तथा फलशिंग से 67.0 घनमीटर/दिन, कुल 187.0 घनमीटर/दिन दूषित जल उत्पन्न होगा। प्रोजेक्ट से उत्पन्न घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 300 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग हॉर्टिकल्चर, फलशिंग एवं फ्लोर वाशिंग आदि कार्यों में किया जावेगा।
- प्रोजेक्ट निर्माण के समय 25 किलोवॉट तथा रेसीडेन्शियल अपार्टमेंट के ऑपरेशनल स्टेज में 1450 किलोवॉट बिजली की खपत होना प्रस्तावित है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 125 कॅवीए क्षमता का 01 डी.जी. सेट लगाया जाना प्रस्तावित है।
- म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मात्रा कुल 744 किलोग्राम/दिन होगी, जिसे कलेक्शन बिन के माध्यम से एकत्रित किया जाकर डाउन स्ट्रीम कन्ज्यूमर्स/डिस्पोजल साईट में भेजा जायेगा।
- एस.टी.पी. स्लज की मात्रा 15 कि.ग्राम/दिन होगी, जिसका उपयोग खाद बनाया जाकर हॉर्टिकल्चर में किया जावेगा।
- प्रोजेक्ट में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।
- ग्रीन एरिया हेतु 2520 वर्गमीटर क्षेत्र रखा गया है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नगर पालिक निगम द्वारा दिनांक 12/10/2012 को जारी भवन निर्माण अनुज्ञा के प्रति जमा कराई गई है।
- प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार – एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 194वीं बैठक दिनांक 04/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि :-
  1. वृक्षारोपण की स्पष्ट योजना एवं ले-आउट प्लान मंगाया जावे।
  2. भू स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (मूल प्रति सहित) मंगाया जावे।
  3. भू-जल उपयोग संबंधी जानकारी मंगाया जावे।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।  
परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

● **समिति द्वारा विचार** - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री प्रियंक सिघानिया, डायरेक्टर, श्री आनंद सिघानिया, एम.डी, श्री ओ.पी. श्रीवास्ताव, एकजिक्युटिव, एवं सलाहकार मेसर्स पायोनियर इन्वायरो लेवोरट्रीज एण्ड कन्सलटेन्ट प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री सुधीर सिंह उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि परियोजना की लागत 44 करोड़ है।

2. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्वाटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

3. समीपस्थ रेल्वे स्टेशन 1.6 कि.मी., शैक्षणिक संस्था भारत माता स्कूल 700 मीटर की दूरी पर, अस्पताल एम्स 960 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 820 मीटर की दूरी पर है। समीपस्थ सर्फेस वॉटर बॉडी खारून नदी 3.0 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

4. ग्रीन एरिया 2520 वर्गमीटर क्षेत्रफल रखा गया है।

5. प्रोजेक्ट हेतु 270 घनमीटर/दिन जल खपत होना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति ग्राउण्ड वॉटर/रायपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन से किया जाना प्रस्तावित है जिसमे से 133 घनमीटर/दिन फ्रेश वॉटर एवं शेष मात्रा (फ्लशिंग 66 घनमीटर/दिन, हार्टीकल्चर 25 घनमीटर/दिन, फ्लोर एवं कॉमन एरिया वॉशिंग 45 घनमीटर/दिन) की आपूर्ति पूनः उपचारित जल से की जावेगी। 300 किलोलीटर/दिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रोजेक्ट में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 230/1, 230/5, 230/7-9, 231/1-4 एवं 613/1, ग्राम-हीरापुर (जरवाय), तहसील व जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भू-क्षेत्र- 1.602 हेक्टेयर (15993 वर्गमीटर) तथा कुल बिल्टअप एरिया 22586.72 वर्गमीटर हेतु **संलग्न-04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

13. **मेसर्स फार्चून स्टोन्स (मेमरा ग्रेनाइट माईन), ग्राम-मेमरा, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद (427)**

● **ऑनलाईन आवेदन** - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 51856/2016, यह आवेदन दिनांक 17/03/2016 के द्वारा ऑनलाईन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/03/2016 को प्रस्तुत किया गया है।

● **प्रस्ताव का विवरण** – यह एक प्रस्तावित ग्रेनाईट (ब्लैक डोलोराईट) खदान है। खदान खसरा नं. 96, 97, 710, 88, 87/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 94/3 एवं 89/1, ग्राम-मेमरा, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 8.391 हेक्टेयर में स्थित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,000 घनमीटर/वर्ष है। यह शासकीय भूमि में है।

● **प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित ग्रेनाईट (ब्लैक डोलोराईट) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं :-

1. ग्राम पंचायत मेमरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो डॉ. महेश बाबू संयुक्त संचालक (खनि. प्रशासन) जिला रायपुर द्वारा अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 27/04/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

● **प्रस्ताव की सामान्य जानकारी** –

1. समीपस्थ आबादी ग्राम-मेमरा 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। माध्यमिक स्कूल ग्राम-मेमरा लगभग 1.5 किलोमीटर है।
2. **एल. ओ. आई. की जानकारी** :- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 3-32/2015/12 नया रायपुर दिनांक 04/02/2016 द्वारा सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
3. माईनेबल रिजर्व 2,26,225 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र छोड़ा गया है। उत्खनन ओपन कास्ट सेमीमेकेनाईज्ड विधि से किया जाता है। ब्लास्टिंग नहीं किया जावेगा। ड्रिलिंग कैलिक्स ड्रिल मशीन द्वारा किया जावेगा। ओवर बर्डन की गहराई लगभग 1.5 से 2.0 मीटर है। प्रथम पांच वर्षों में ओवर बर्डन/टाप सॉयल की मात्रा 13,800 घनमीटर एवं रिजेक्ट्स की मात्रा 48,068 घनमीटर खदान की संभावित आयु 32 वर्ष बतायी गई है। उत्खनन की अधिकतम गहराई 28 से 30 मीटर होगी। जल की खपत 10 किलोलीटर/दिन (डस्ट सप्रेषन 04 कि.ली./दिन, ग्रीन बेल्ट 02 कि.ली./दिन एवं घरेलु उपयोग हेतु 04 कि.ली./दिन), जिसका स्रोत बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार उत्खनन कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :-

**पहले पांच सालों के लिए उत्खनन योजना**

वर्ष	बेंच लेवल (एम.आर.एल.)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन योजना (घनमीटर)
प्रथम वर्ष	296-289	990	7	6930	2061
	289-280	150	9	1350	
द्वितीय वर्ष	296-289	850	7	5915	2983

वर्ष	बेंच लेवल (एम.आर.एल.)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	उत्पादन योजना (घनमीटर)
	289-280	400	9	3600	
	296-289	1400	7	9800	4975
तृतीय वर्ष	289-280	670	9	6030	
	296-289	1400	7	9800	6910
चतुर्थ वर्ष	289-280	1100	9	9900	
	296-289	1120	7	7840	6968
पंचम वर्ष	289-280	1200	9	10800	
				71965	23897
कुल					

● प्रकरण पर पूर्व बैठक में विचार - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 195वीं बैठक दिनांक 05/05/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया था। समिति द्वारा तत्समय नोट किया गया कि:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 616 दिनांक 27/04/2016 द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 25 हेक्टेयर से कम होने के कारण क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। फलस्वरूप यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
3. अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र प्रस्तावित खदान से 05 कि.मी. की परिधि में स्थित नहीं है।
4. ग्राम पंचायत मेमरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारियों / दस्तावेजों एवं स्थल के वर्तमान फोटोग्राफ्स के साथ प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/06/2016 के द्वारा सूचित किया गया।

● समिति द्वारा विचार - एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ की 196वीं बैठक दिनांक 13/06/2016 में प्रकरण पर विचार किया गया। प्रस्तुतीकरण के लिए श्री डी.सी. सिंह, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित थे। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि:-


1. प्रोसेसिंग प्लांट लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है।
2. समीपस्थ आबादी ग्राम-मेमरा 480 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्कूल 500 मीटर एवं अस्पताल लगभग 5.0 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम नदी बाघ नदी 2.55 किलोमीटर एवं जोंक नदी 4.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

3. माईनेबल रिजर्व 4,52,450 घनमीटर एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,26,225 घनमीटर है। बेंच की उंचाई 9.0 मीटर एवं चौड़ाई 9.0 मीटर है। उपरी मिट्टी की मात्रा 2.0 मीटर है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से खसरा नं. 96, 97, 710, 88, 87/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 94/3 एवं 89/1, ग्राम-मेमरा, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 8.391 हेक्टेयर में ग्रेनाईट (ब्लैक डोलोराईट) खदान क्षमता-6968 घनमीटर /वर्ष हेतु संलग्न-05 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने की अनुशंसा की गई।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जावे।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

  
(विनय कुमार मिश्रा)

उपाध्यक्ष,

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,  
छत्तीसगढ़



(रेजीना टोप्पो)

सचिव,

राज्य स्तर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति,  
छत्तीसगढ़

मेसर्स बी. आर. के. डेव्हलपर्स एण्ड माईनर्स (प्रो-श्रीमती शिल्पा कपूर)  
को चूना पत्थर एवं कशर उत्खनन क्षमता-7,20,000 टन /वर्ष, खसरा नं. 410,  
411/1,2,3,4, 412, 413, 414/1,2, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,  
422/1,2, 423/1,2, 426, 435, 436, 437, 438, 439, 440/1,2,3, 443, 446  
एवं 447, कुल लीज क्षेत्र 7.87 हेक्टेयर, ग्राम-अकोलडीह-खपरी, तहसील-आरंग,  
जिला-रायपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 7.87 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर एवं कशर का अधिकतम उत्खनन 7,20,000 टन /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे।
5. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डंप का भण्डारण नहीं किया जावे तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे।
8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।
9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर





विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।

10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुर्न भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
12. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुये वाहन से किया जावे, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1580 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।
16. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
17. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।
19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
21. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।

27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
उपाध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स चैतन्य ग्रीन्स को खसरा नं. 313/1, 2, 320, 322/1, 2, 3, 4, कुल एरिया 1.7 हेक्टेयर, ग्राम-सड्डू, जिला-रायपुर, प्लॉट एरिया 15126 वर्गमीटर तथा बिल्टअप एरिया 26567 वर्गमीटर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

## **PART A – SPECIFIC CONDITIONS**

### **I. Construction Phase**

#### **Facility of Labourers during Construction: -**

- i) Construction camp and temporary labour sheds shall be located away from the construction site. Construction camps shall be provided for construction personnel to avoid indiscriminate settlement of construction workers and labourers.
- ii) Provision of drinking water, wastewater disposal, solid wastes management and primary health facilities shall be ensured for labour camps. Proper sanitation facilities shall be provided at the construction site to prevent health related problem. Domestic as well as sanitary wastes from construction camps shall be cleared regularly. Provision shall be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during construction phase shall be ensured.
- iii) Water usage during construction shall be optimized to avoid any wastage.
- iv) Adequate safety measures shall be adopted to the construction workers.
- v) All the labourers to be engaged for construction works shall be screened for health and adequately treated before issue of work permits. The contractor shall ensure periodic health check-up of construction workers. A first Aid room shall be provided in the project both during construction and operation of the project.
- vi) Provision shall be made for the supply of kerosene or cooking gas /pressure cooker to the labourers during construction phase.

#### **Environmental Management During Construction: -**

- i) As far as practicable, re-use of debris of demolished existing buildings/houses/structures at existing site is recommended with a special care for handling and disposal of asbestos waste, if any. Rest of waste is to be disposed at the sanitary landfill disposal site.
- ii) Appropriate measure like adequate drainage, embankment consolidation and slope stabilization shall be taken along the roads to avoid soil erosion. Top soils (20 cm) of the borrow pit sites shall be conserved and restored after completion of excavation. All the topsoil excavated during construction activities shall be stored for use in horticulture/landscape development within the project site. Proper erosion control and sediment control measures shall be adopted.
- iii) Earth material generated from excavation shall be reuse to the maximum possible extent as filling material during site development. The construction debris and surplus excavated material shall be disposed off by mechanical transport in suitable pre-identified dumping areas to avoid land degradation and water logging due to indiscriminate dumping. Dumping areas shall be biologically reclaimed through topsoil cover and plantation.
- iv) A soil erosion and sedimentation control plan shall be prepared prior to construction. The soil erosion, sediment control and storm water practices shall be incorporated depending upon the site characteristics to control soil erosion and loss of topsoil during construction.
- v) Disposal of muck including excavated material during construction phase shall not create any adverse effects on the neighboring communities and disposed off taking the necessary precautions for general safety and health aspects.
- vi) Low sulphur diesel type diesel generator sets should be used during construction phase. Diesel generator sets during construction phase shall have acoustic enclosures and shall conform to Environment (Protection) Rules, 1986 prescribed for air and noise emission standards.

- vii) All Vehicles/equipments deployed during construction phase shall be ensured in good working condition and shall conform to applicable air and noise emission standards. These shall be operated only during non-peaking hours.
- viii) Ambient noise levels shall conform to residential standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Equivalent noise levels shall be ensured during construction phase and closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be provided to maintain ambient air quality and noise levels during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/CECB. Fortnightly monitoring of ambient air quality (PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, SO<sub>2</sub> and NO<sub>x</sub>) shall be done.
- ix) The protective equipments such as earplugs etc. shall be provided to construction personnel exposed to high noise levels. Stationary construction equipments generating noise shall be placed away from inhabited areas and silence zones. Construction activities carried out near residential area shall be scheduled to daytime only. Only limited necessary construction shall be done during night time. No unloading of construction materials shall be done at night. Vehicular noise and use of horns shall be controlled through enforcement of laws and public awareness. Use of pressure horns shall be strictly prohibited. To reduce noise level, the roads shall be designed to have more rows of plantation.
- x) Construction spoils, including bituminous material and other hazardous materials including oil from construction equipments must not be allowed to contaminate watercourses and the dumpsites for such material must be secured so that they shall not leach into the ground water. If necessary, oil trap shall be installed where heavy machineries are deployed.
- xi) Proper and prior planning, sequencing and scheduling of all major construction activities shall be done. Construction material shall be stored in covered godowns / sheds. Truck carrying soil, sand and other construction materials shall be duly covered to prevent spillage and dust emission. Adequate dust suppression measures shall be undertaken to control fugitive dust emission. Regular water sprinkling for dust suppression shall be ensured.
- xii) Use of Ready-Mix concrete is recommended for this project. Water demand during construction shall be reduced by use of pre-mix concrete, curing agents and other best practices.
- xiii) Accumulation/stagnation of water shall avoid ensuring vector control.
- xiv) Regular supervision of the above and other measures shall be in place all through the construction phase so as to avoid disturbance to the surroundings.

#### **Selection of Materials for Better Energy Efficiency: -**

- i) Use of fly ash based bricks/blocks/tiles/products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of Notification regarding use of Fly ash must be complied with issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash/pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India/ Central Pollution Control Board/ Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- ii) Construction shall conform to the requirements of local seismic regulations. The project proponent shall obtain permission for the plans and designs including structural design, standard, safety, adequacy of firefighting equipments, protection measures for lightning and specifications of all construction works from concerned authority.
- iii) Reduce the use of glazed surface as per National Building Code 2005. Use of glass in various buildings may be reduced up to 40% to reduce the electricity consumption and load on air-conditioning. If necessary, use of high quality double glass with special reflective coating in windows. Roof of the various buildings shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code by using appropriate thermal insulation material to fulfill requirement. Opaque wall shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code which is proposed to be mandatory for all air conditioned spaces while it is inspirational for non-air-conditioned spaces by use of appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.
- iv) Use of energy efficient construction materials to achieve the desired thermal comfort shall be incorporated. The desired level of roof assembling 'U' factor and insulation 'R' value must be achieved. Roof assembling 'U' factor for the top roof shall not exceed 0.4 Watt/sq.m/degree



centigrade with appropriate modifications of specifications and building technologies. The provisions of National Building Code 2005 shall be strictly followed.

- v) Modern electrical power transmission & distribution system shall be installed.
- vi) Street lighting shall be energy efficient. LED light shall be provided in street lighting, garden, public place and houses. LED lights and solar water heating systems shall be provided in the buildings (as required).
- vii) Extensive network of cellular phones and landlines shall be provided. The telephone and electric cables shall be laid in the same corridor. Adequate vertical and horizontal separation between telephone and electric cable shall be maintained.
- viii) Reduce hard paving-onsite (open area surrounding building premises) and/or provide shade on hard paved surfaces to minimize heat island effect and imperviousness of the site.
- ix) All air-conditioned buildings (if any) shall follow the norms proposed in the ECBC regulations framed by the Bureau of Energy Efficiency. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.
- x) Power requirement shall be met through Chhattisgarh State Electricity Distribution Company Limited. Power backup shall be D.G. Sets, which should be acoustically proof and ecofriendly.
- xi) The buildings shall have adequate distance among them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.
- xii) During maintenance, energy efficient electric light fittings & lamps – low power ballasts, low consumption high power luminaries, lux level limiters & timers for street lighting shall be provided. Used LEDs shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury or other contamination. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy Efficiency shall be prepared incorporating details about building materials & technology, 'R' value & 'U' factors etc.

#### **Water Body Conservation: -**

- i) Improvement or rehabilitation of existing natural streams, channels / nallas falling within premises (if any) shall be carried out without disturbing the ecological habitat.
- ii) No untreated/treated wastewater shall be discharge in the any water bodies under any circumstances.
- iii) All the construction and preparatory activities shall be carried out during dry seasons only.

#### **Water Supply: -**

- i. Project proponent shall provide adequate measuring arrangement at the inlet point of water uptake and at the discharge point for the measurement of water utilized in different categories to monitor the daily water consumption. Measuring arrangement for effluent generated shall also be provided.
- ii. Water saving practices such as usage of water saving devices / fixtures, low flow flushing systems, sensor based fixtures, pressure reducing devices etc. shall be adopted.
- iii. Tubewell situated near proposed sewage treatment plant shall be closed before operation of sewage treatment plant.

#### **Greening Programme: -**

- i) Lay out of proposed buildings and roads etc. shall be made in such a way that it shall cause minimum disturbance to existing flora and fauna. Appropriate green belt shall be developed to compensate the habitat loss of trees for site clearing. The project proponent must obtain permission for tree cutting from competent authority as per prevailing Act/Rules. Plantation along the side of the roads and in the open spaces shall be developed to act as sinks of air pollutants. Adequate plantation programme along the roads and open spaces shall be planned. The plantation programme shall be drawn to confirm the natural climate conditions. The plantations shall consist of mixture of available indigenous, fast growing and sturdy species of trees, shrubs and herbs, as proposed by the project proponent. Plantation shall be done in open spaces available within the premises. Trees of species like Sagon, Khamar etc. which remain leafless for long time shall be avoided.

#### **Sewage Management: -**

- i) Sewage Treatment Plant with adequate capacity shall be installed. Sewage collection system of adequate capacity to convey the sewage during peak hours shall be laid to collect and convey the sewage from various buildings. The augmentation of Sewage Collection System, Sewage- Pumping Station (if any) and Sewage Treatment Plant shall be ensured before the completion of the buildings.

- ii) Domestic waste water after treatment shall be used in plantation and other uses as far as possible.

### **Rain Water Harvesting Scheme: -**

- i) Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- ii) Net imperviousness of the site shall not exceed the imperviousness factor as prescribed by the National Building Code of India, Bureau of Indian Standards, 2005.

### **Transport Management: -**

- i) Appropriate access shall be provided for physically challenged people in the pedestrian paths.
- ii) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the project site must be avoided. The design of service roads and the entry and exit from the building shall conform to the norms & standards prescribed by the National Highways Authority of India / State Public Works Department.
- iii) Permeable (porous) paving in the parking areas, and walkways & patio areas shall be used to control surface water runoff by allowing storm water to infiltrate the soil and return to ground water.
- iv) The road drainage shall be designed to enable quick runoff of surface water and prevent water logging. The road level shall be kept at least 0.5 to 1.0 meter above the observed high flood level. The guidelines on Urban Drainage, IRC: SP-50 shall be followed. On the both sides of all roads, well -lit and smooth surfaced footpaths shall be provided. The hoardings shall be strictly prohibited along the roads.
- v) Adequate provision shall be made to cater the parking needs. Parking shall be fully internalized and no public space shall be utilized. Parking spaces standards as given in 'Manual on Norms and Standards for Environmental Clearance of Large Construction Projects' issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall be adapted.

### **Others: -**

- i) All mandatory approvals and permissions as required shall be obtained.
- ii) Unskilled construction labourers shall be recruited from the local areas. Construction materials shall be procured locally as far as possible.
- iii) Water heating system provided in the residential units and common buildings (if any) shall be 100% solar based only.
- iv) Provision of composting for the biodegradable solid wastes as well as the large amount of biomass that shall be available from the tree plantation shall be made.
- v) The ground water shall not be abstracted without prior permission from the competent authority in the project area.
- vi) Adequate roadside drains shall be provided along the road to facilitate its better maintenance and increase in the life of the carriageway, which shall avoid soil erosion and land degradation due to water stagnation. The roadside drains shall be provided on both sides of the road. Longitudinal and cross drainage system shall be regularly maintained. Adequate new drainage works and cross drainage structures shall be provided for smooth passage of runoff. Filling of existing natural drainage courses shall be strictly avoided. Suitable drainage at construction site and camp shall be provided to eliminate the formation of stagnant water pools.
- vii) Regular supervision of the above and other measures for monitoring shall be in place all through the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.

## **II. Operation Phase**

### **Sewage Treatment Plant: -**

- i) Project proponent shall operate and maintain the sewage collection / conveyance system, sewage pumping system (if any) and sewage treatment system regularly to ensure the treated effluent quality within the standards prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India or prescribed by Chhattisgarh Environment Conservation Board (which ever stringent). All the effluent treatment system shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, same alternate arrangement shall be made for storage of untreated sewage until the control measures

are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

- ii) Properly treated sewage shall be utilized in flushing the toilets / gardening purpose as far as possible.

### **Municipal Solid Waste/ Other Wastes: -**

- i) Two-chambered container (one for recyclable wastes and other for all organic and compostable wastes) shall be placed at appropriate distance on the roadside and inside the building. Covered dustbins / garbage collector in convenient places to collect the municipal solid wastes shall be provided.
- ii) The proponent must develop the Solid Wastes Segregation, Collection, Handling, Transportation and Disposal Scheme ensuring safe and scientific segregation, collection, handling, transportation and disposal of organic and inorganic portion. The organic waste is to be composted / Vermi composted at the compost plant. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose. Dry solid waste and recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminum cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be ensured. All municipal solid wastes shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- iii) Public awareness programmes of benefit of living a clean and healthy life by proper management of solid wastes shall be organized regularly.
- iv) All hazardous wastes (if any) shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- v) The use of hand gloves, shoes and safety dress for all waste collectors and sorters shall be enforced.
- vi) Recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminium cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be encouraged through private participation.
- vii) Necessary measures shall be made to mitigate the odour problems from solid wastes processing plant.

### **Others: -**

- i) Noise shall be controlled to ensure that it does not exceed the prescribed standards. During nighttime the noise level measured at the boundary of the building shall be restricted to the permissible levels to comply with the prevalent regulations.
- ii) Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rainwater in the catchments area during the monsoon period.
- iii) The ground water level and its quality shall be monitored regularly in consultation with Central Ground Water Authority.

## **PART B – GENERAL CONDITIONS**

- i) After approval of the competent authority appropriate fire fighting system shall be adapted.
- ii) The environmental safeguards and mitigation measures contained in the application shall be implemented in letter and spirit.
- iii) All the conditions, liabilities and legal provisions contained in the Environmental Clearance shall be equally applicable to the successor management of the project in the event of the project proponent transferring the ownership, maintenance of management of the project to any other entity.
- iv) The project proponent shall make financial provision in the total budget of the project for implementation of the above-mentioned conditions and for suggested environmental safeguard measures. The funds earmarked for the environmental protection measures shall not be diverted for other purposes.
- v) Six monthly monitoring reports shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh; Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India,



Bhopal and Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, who shall be monitoring the implementation of environmental safeguards, shall be given full cooperation, facilities and documents / data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents shall submit to State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh.

- vi) The responsibility of implementation of environmental safeguards rests fully on the project proponent. Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout functions relating to environmental management under the supervision of senior executive, directly reporting to the head of organization.
- vii) In the case of any change(s) in the scope of the project, the project shall require a fresh appraisal by the SEIAA.
- viii) The issuance of this letter does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.
- ix) All other statutory clearances from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponent. Project proponent shall obtain all necessary statutory clearances / licenses/ permissions from concerned Central Government/State Government Departments, Boards, Bodies and Corporations etc. Project proponent shall follow direction issued by Central Government/ State Government, Central Pollution Control Board/Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time regarding control of water & air pollution and for environmental conservation.
- x) The State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh reserves the right to amend the above conditions and add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time-bound and satisfactory manner.
- xi) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India at [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) and website of SEIAA, Chhattisgarh at [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org).
- xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
- xiii) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
उपाध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स अविनाश बिल्डर्स (अविनाश आशियाना) को खसरा नं. 4/2, 4/3, 6/1 (पी), 4/5, 4/11, 6/3(पी), 4/6, 4/7, 6/4 (पी), ग्राम-कोटा (कबीर नगर), तहसील व जिला-रायपुर, कुल भू-क्षेत्र-19980 वर्गमीटर (1.998 हेक्टेयर) तथा बिल्टअप एरिया 31784.89 वर्गमीटर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

## **PART A – SPECIFIC CONDITIONS**

### **I. Construction Phase**

#### **Facility of Labourers during Construction: -**

- i) Construction camp and temporary labour sheds shall be located away from the construction site. Construction camps shall be provided for construction personnel to avoid indiscriminate settlement of construction workers and labourers.
- ii) Provision of drinking water, wastewater disposal, solid wastes management and primary health facilities shall be ensured for labour camps. Proper sanitation facilities shall be provided at the construction site to prevent health related problem. Domestic as well as sanitary wastes from construction camps shall be cleared regularly. Provision shall be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during construction phase shall be ensured.
- iii) Water usage during construction shall be optimized to avoid any wastage.
- iv) Adequate safety measures shall be adopted to the construction workers.
- v) All the labourers to be engaged for construction works shall be screened for health and adequately treated before issue of work permits. The contractor shall ensure periodic health check-up of construction workers. A first Aid room shall be provided in the project both during construction and operation of the project.
- vi) Provision shall be made for the supply of kerosene or cooking gas /pressure cooker to the labourers during construction phase.

#### **Environmental Management During Construction: -**

- i) As far as practicable, re-use of debris of demolished existing buildings/houses/structures at existing site is recommended with a special care for handling and disposal of asbestos waste, if any. Rest of waste is to be disposed at the sanitary landfill disposal site.
- ii) Appropriate measure like adequate drainage, embankment consolidation and slope stabilization shall be taken along the roads to avoid soil erosion. Top soils (20 cm) of the borrow pit sites shall be conserved and restored after completion of excavation. All the topsoil excavated during construction activities shall be stored for use in horticulture/landscape development within the project site. Proper erosion control and sediment control measures shall be adopted.
- iii) Earth material generated from excavation shall be reuse to the maximum possible extent as filling material during site development. The construction debris and surplus excavated material shall be disposed off by mechanical transport in suitable pre-identified dumping areas to avoid land degradation and water logging due to indiscriminate dumping. Dumping areas shall be biologically reclaimed through topsoil cover and plantation.
- iv) A soil erosion and sedimentation control plan shall be prepared prior to construction. The soil erosion, sediment control and storm water practices shall be incorporated depending upon the site characteristics to control soil erosion and loss of topsoil during construction.
- v) Disposal of muck including excavated material during construction phase shall not create any adverse effects on the neighboring communities and disposed off taking the necessary precautions for general safety and health aspects.
- vi) Low sulphur diesel type diesel generator sets should be used during construction phase. Diesel generator sets during construction phase shall have acoustic enclosures and shall conform to Environment (Protection) Rules, 1986 prescribed for air and noise emission standards.
- vii) All Vehicles/equipments deployed during construction phase shall be ensured in good working condition and shall conform to applicable air and noise emission standards. These shall be operated only during non-peaking hours.
- viii) Ambient noise levels shall conform to residential standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely

monitored during construction phase. Equivalent noise levels shall be ensured during construction phase and closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be provided to maintain ambient air quality and noise levels during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/CECB. Fortnightly monitoring of ambient air quality (PM10, PM2.5, SO2 and NOx) shall be done.

- ix) The protective equipments such as earplugs etc. shall be provided to construction personnel exposed to high noise levels. Stationary construction equipments generating noise shall be placed away from inhabited areas and silence zones. Construction activities carried out near residential area shall be scheduled to daytime only. Only limited necessary construction shall be done during night time. No unloading of construction materials shall be done at night. Vehicular noise and use of horns shall be controlled through enforcement of laws and public awareness. Use of pressure horns shall be strictly prohibited. To reduce noise level, the roads shall be designed to have more rows of plantation.
- x) Construction spoils, including bituminous material and other hazardous materials including oil from construction equipments must not be allowed to contaminate watercourses and the dumpsites for such material must be secured so that they shall not leach into the ground water. If necessary, oil trap shall be installed where heavy machineries are deployed.
- xi) Proper and prior planning, sequencing and scheduling of all major construction activities shall be done. Construction material shall be stored in covered godowns / sheds. Truck carrying soil, sand and other construction materials shall be duly covered to prevent spillage and dust emission. Adequate dust suppression measures shall be undertaken to control fugitive dust emission. Regular water sprinkling for dust suppression shall be ensured.
- xii) Use of Ready-Mix concrete is recommended for this project. Water demand during construction shall be reduced by use of pre-mix concrete, curing agents and other best practices.
- xiii) Accumulation/stagnation of water shall avoid ensuring vector control.
- xiv) Regular supervision of the above and other measures shall be in place all through the construction phase so as to avoid disturbance to the surroundings.

#### **Selection of Materials for Better Energy Efficiency: -**

- i) Use of fly ash based bricks/blocks/tiles/products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of Notification regarding use of Fly ash must be complied with issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash/pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India/ Central Pollution Control Board/ Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- ii) Construction shall conform to the requirements of local seismic regulations. The project proponent shall obtain permission for the plans and designs including structural design, standard, safety, adequacy of firefighting equipments, protection measures for lightning and specifications of all construction works from concerned authority.
- iii) Reduce the use of glazed surface as per National Building Code 2005. Use of glass in various buildings may be reduced up to 40% to reduce the electricity consumption and load on air-conditioning. If necessary, use of high quality double glass with special reflective coating in windows. Roof of the various buildings shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code by using appropriate thermal insulation material to fulfill requirement. Opaque wall shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code which is proposed to be mandatory for all air conditioned spaces while it is inspirational for non-air-conditioned spaces by use of appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.
- iv) Use of energy efficient construction materials to achieve the desired thermal comfort shall be incorporated. The desired level of roof assembling 'U' factor and insulation 'R' value must be achieved. Roof assembling 'U' factor for the top roof shall not exceed 0.4 Watt/sq.m/degree centigrade with appropriate modifications of specifications and building technologies. The provisions of National Building Code 2005 shall be strictly followed.
- v) Modern electrical power transmission & distribution system shall be installed.
- vi) Street lighting shall be energy efficient. LED light shall be provided in street lighting, garden, public place and houses. LED lights and solar water heating systems shall be provided in the buildings (as required).

- vii) Extensive network of cellular phones and landlines shall be provided. The telephone and electric cables shall be laid in the same corridor. Adequate vertical and horizontal separation between telephone and electric cable shall be maintained.
- viii) Reduce hard paving-onsite (open area surrounding building premises) and/or provide shade on hard paved surfaces to minimize heat island effect and imperviousness of the site.
- ix) All air-conditioned buildings (if any) shall follow the norms proposed in the ECBC regulations framed by the Bureau of Energy Efficiency. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.
- x) Power requirement shall be met through Chhattisgarh State Electricity Distribution Company Limited. Power backup shall be D.G. Sets, which should be acoustically proof and ecofriendly.
- xi) The buildings shall have adequate distance among them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.
- xii) During maintenance, energy efficient electric light fittings & lamps – low power ballasts, low consumption high power luminaries, lux level limiters & timers for street lighting shall be provided. Used LEDs shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury or other contamination. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy Efficiency shall be prepared incorporating details about building materials & technology, 'R' value & 'U' factors etc.

**Water Body Conservation: -**

- i) Improvement or rehabilitation of existing natural streams, channels / nallas falling within premises (if any) shall be carried out without disturbing the ecological habitat.
- ii) No untreated/treated wastewater shall be discharge in the any water bodies under any circumstances.
- iii) All the construction and preparatory activities shall be carried out during dry seasons only.

**Water Supply: -**

- i. Project proponent shall provide adequate measuring arrangement at the inlet point of water uptake and at the discharge point for the measurement of water utilized in different categories to monitor the daily water consumption. Measuring arrangement for effluent generated shall also be provided.
- ii. Water saving practices such as usage of water saving devices / fixtures, low flow flushing systems, sensor based fixtures, pressure reducing devices etc. shall be adopted.
- iii. Tubewell situated near proposed sewage treatment plant shall be closed before operation of sewage treatment plant.

**Greening Programme: -**

- i) Lay out of proposed buildings and roads etc. shall be made in such a way that it shall cause minimum disturbance to existing flora and fauna. Appropriate green belt shall be developed to compensate the habitat loss of trees for site clearing. The project proponent must obtain permission for tree cutting from competent authority as per prevailing Act/Rules. Plantation along the side of the roads and in the open spaces shall be developed to act as sinks of air pollutants. Adequate plantation programme along the roads and open spaces shall be planned. The plantation programme shall be drawn to confirm the natural climate conditions. The plantations shall consist of mixture of available indigenous, fast growing and sturdy species of trees, shrubs and herbs, as proposed by the project proponent. Plantation shall be done in open spaces available within the premises. Trees of species like Sagon, Khamar etc. which remain leafless for long time shall be avoided.

**Sewage Management: -**

- i) Sewage Treatment Plant with adequate capacity shall be installed. Sewage collection system of adequate capacity to convey the sewage during peak hours shall be laid to collect and convey the sewage from various buildings. The augmentation of Sewage Collection System, Sewage- Pumping Station (if any) and Sewage Treatment Plant shall be ensured before the completion of the buildings.
- ii) Domestic waste water after treatment shall be used in plantation and other uses as for as possible.

*23/6*

### **Rain Water Harvesting Scheme: -**

- i) Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- ii) Net imperviousness of the site shall not exceed the imperviousness factor as prescribed by the National Building Code of India, Bureau of Indian Standards, 2005.

### **Transport Management: -**

- i) Appropriate access shall be provided for physically challenged people in the pedestrian paths.
- ii) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the project site must be avoided. The design of service roads and the entry and exit from the building shall conform to the norms & standards prescribed by the National Highways Authority of India / State Public Works Department.
- iii) Permeable (porous) paving in the parking areas, and walkways & patio areas shall be used to control surface water runoff by allowing storm water to infiltrate the soil and return to ground water.
- iv) The road drainage shall be designed to enable quick runoff of surface water and prevent water logging. The road level shall be kept at least 0.5 to 1.0 meter above the observed high flood level. The guidelines on Urban Drainage, IRC: SP-50 shall be followed. On the both sides of all roads, well –lit and smooth surfaced footpaths shall be provided. The hoardings shall be strictly prohibited along the roads.
- v) Adequate provision shall be made to cater the parking needs. Parking shall be fully internalized and no public space shall be utilized. Parking spaces standards as given in 'Manual on Norms and Standards for Environmental Clearance of Large Construction Projects' issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall be adapted.

### **Others: -**

- i) All mandatory approvals and permissions as required shall be obtained.
- ii) Unskilled construction labourers shall be recruited from the local areas. Construction materials shall be procured locally as far as possible.
- iii) Water heating system provided in the residencials units and common buildings (if any) shall be 100% solar based only.
- iv) Provision of composting for the biodegradable solid wastes as well as the large amount of biomass that shall be available from the tree plantation shall be made.
- v) The ground water shall not be abstracted without prior permission from the competent authority in the project area.
- vi) Adequate roadside drains shall be provided along the road to facilitate its better maintenance and increase in the life of the carriageway, which shall avoid soil erosion and land degradation due to water stagnation. The roadside drains shall be provided on both sides of the road. Longitudinal and cross drainage system shall be regularly maintained. Adequate new drainage works and cross drainage structures shall be provided for smooth passage of runoff. Filling of existing natural drainage courses shall be strictly avoided. Suitable drainage at construction site and camp shall be provided to eliminate the formation of stagnant water pools.
- vii) Regular supervision of the above and other measures for monitoring shall be in place all through the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.

## **II. Operation Phase**

### **Sewage Treatment Plant: -**

- i) Project proponent shall operate and maintain the sewage collection / conveyance system, sewage pumping system (if any) and sewage treatment system regularly to ensure the treated effluent quality within the standards prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India or prescribed by Chhattisgarh Environment Conservation Board (which ever stringent). All the effluent treatment system shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, same alternate arrangement shall be made for storage of untreated sewage until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record

(logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

- ii) Properly treated sewage shall be utilized in flushing the toilets / gardening purpose as for as possible.

### **Municipal Solid Waste/ Other Wastes: -**

- i) Two-chambered container (one for recyclable wastes and other for all organic and compostable wastes) shall be placed at appropriate distance on the roadside and inside the building. Covered dustbins / garbage collector in convenient places to collect the municipal solid wastes shall be provided.
- ii) The proponent must develop the Solid Wastes Segregation, Collection, Handling, Transportation and Disposal Scheme ensuring safe and scientific segregation, collection, handling, transportation and disposal of organic and inorganic portion. The organic waste is to be composted / Vermi composted at the compost plant. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose. Dry solid waste and recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminum cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be ensured. All municipal solid wastes shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- iii) Public awareness programmes of benefit of living a clean and healthy life by proper management of solid wastes shall be organized regularly.
- iv) All hazardous wastes (if any) shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- v) The use of hand gloves, shoes and safety dress for all waste collectors and sorters shall be enforced.
- vi) Recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminium cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be encouraged through private participation.
- vii) Necessary measures shall be made to mitigate the odour problems from solid wastes processing plant.

### **Others: -**

- i) Noise shall be controlled to ensure that it does not exceed the prescribed standards. During nighttime the noise level measured at the boundary of the building shall be restricted to the permissible levels to comply with the prevalent regulations.
- ii) Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rainwater in the catchments area during the monsoon period.
- iii) The ground water level and its quality shall be monitored regularly in consultation with Central Ground Water Authority.


### **PART B – GENERAL CONDITIONS**

- i) After approval of the competent authority appropriate fire fighting system shall be adapted.
- ii) The environmental safeguards and mitigation measures contained in the application shall be implemented in letter and spirit.
- iii) All the conditions, liabilities and legal provisions contained in the Environmental Clearance shall be equally applicable to the successor management of the project in the event of the project proponent transferring the ownership, maintenance of management of the project to any other entity.
- iv) The project proponent shall make financial provision in the total budget of the project for implementation of the above-mentioned conditions and for suggested environmental safeguard measures. The funds earmarked for the environmental protection measures shall not be diverted for other purposes.
- v) Six monthly monitoring reports shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh; Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal and Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, who shall be monitoring the implementation of environmental safeguards, shall be given full

cooperation, facilities and documents / data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents shall submit to State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh.

- vi) The responsibility of implementation of environmental safeguards rests fully on the project proponent. Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout functions relating to environmental management under the supervision of senior executive, directly reporting to the head of organization.
- vii) In the case of any change(s) in the scope of the project, the project shall require a fresh appraisal by the SEIAA.
- viii) The issuance of this letter does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.
- ix) All other statutory clearances from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponent. Project proponent shall obtain all necessary statutory clearances / licenses/ permissions from concerned Central Government/State Government Departments, Boards, Bodies and Corporations etc. Project proponent shall follow direction issued by Central Government/ State Government, Central Pollution Control Board/Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time regarding control of water & air pollution and for environmental conservation.
- x) The State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh reserves the right to amend the above conditions and add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time-bound and satisfactory manner.
- xi) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India at [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) and website of SEIAA, Chhattisgarh at [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org).
- xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
- xiii) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
उपाध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, (अविनाश प्राईड) को खसरा नं. 230/1, 230/5, 230/7-9, 231/1-4 एवं 613/1, ग्राम-हीरापुर (जरवाय), तहसील व जिला-रायपुर में प्रस्तावित है। कुल भू-क्षेत्र- 1.602 हेक्टेयर (15993 वर्गमीटर) तथा कुल बिल्टअप एरिया 22586.72 वर्गमीटर हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

## **PART A – SPECIFIC CONDITIONS**

### **I. Construction Phase**

#### **Facility of Labourers during Construction: -**

- i) Construction camp and temporary labour sheds shall be located away from the construction site. Construction camps shall be provided for construction personnel to avoid indiscriminate settlement of construction workers and labourers.
- ii) Provision of drinking water, wastewater disposal, solid wastes management and primary health facilities shall be ensured for labour camps. Proper sanitation facilities shall be provided at the construction site to prevent health related problem. Domestic as well as sanitary wastes from construction camps shall be cleared regularly. Provision shall be made for mobile toilets. The safe disposal of wastewater and solid wastes generated during construction phase shall be ensured.
- iii) Water usage during construction shall be optimized to avoid any wastage.
- iv) Adequate safety measures shall be adopted to the construction workers.
- v) All the labourers to be engaged for construction works shall be screened for health and adequately treated before issue of work permits. The contractor shall ensure periodic health check-up of construction workers. A first Aid room shall be provided in the project both during construction and operation of the project.
- vi) Provision shall be made for the supply of kerosene or cooking gas /pressure cooker to the labourers during construction phase.

#### **Environmental Management During Construction: -**

- i) As far as practicable, re-use of debris of demolished existing buildings/houses/structures at existing site is recommended with a special care for handling and disposal of asbestos waste, if any. Rest of waste is to be disposed at the sanitary landfill disposal site.
- ii) Appropriate measure like adequate drainage, embankment consolidation and slope stabilization shall be taken along the roads to avoid soil erosion. Top soils (20 cm) of the borrow pit sites shall be conserved and restored after completion of excavation. All the topsoil excavated during construction activities shall be stored for use in horticulture/landscape development within the project site. Proper erosion control and sediment control measures shall be adopted.
- iii) Earth material generated from excavation shall be reuse to the maximum possible extent as filling material during site development. The construction debris and surplus excavated material shall be disposed off by mechanical transport in suitable pre-identified dumping areas to avoid land degradation and water logging due to indiscriminate dumping. Dumping areas shall be biologically reclaimed through topsoil cover and plantation.
- iv) A soil erosion and sedimentation control plan shall be prepared prior to construction. The soil erosion, sediment control and storm water practices shall be incorporated depending upon the site characteristics to control soil erosion and loss of topsoil during construction.
- v) Disposal of muck including excavated material during construction phase shall not create any adverse effects on the neighboring communities and disposed off taking the necessary precautions for general safety and health aspects.
- vi) Low sulphur diesel type diesel generator sets should be used during construction phase. Diesel generator sets during construction phase shall have acoustic enclosures and shall conform to Environment (Protection) Rules, 1986 prescribed for air and noise emission standards.
- vii) All Vehicles/equipments deployed during construction phase shall be ensured in good working condition and shall conform to applicable air and noise emission standards. These shall be operated only during non-peaking hours.



- viii) Ambient noise levels shall conform to residential standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Equivalent noise levels shall be ensured during construction phase and closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be provided to maintain ambient air quality and noise levels during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/CECB. Fortnightly monitoring of ambient air quality (PM10, PM2.5, SO2 and NOx) shall be done.
- ix) The protective equipments such as earplugs etc. shall be provided to construction personnel exposed to high noise levels. Stationary construction equipments generating noise shall be placed away from inhabited areas and silence zones. Construction activities carried out near residential area shall be scheduled to daytime only. Only limited necessary construction shall be done during night time. No unloading of construction materials shall be done at night. Vehicular noise and use of horns shall be controlled through enforcement of laws and public awareness. Use of pressure horns shall be strictly prohibited. To reduce noise level, the roads shall be designed to have more rows of plantation.
- x) Construction spoils, including bituminous material and other hazardous materials including oil from construction equipments must not be allowed to contaminate watercourses and the dumpsites for such material must be secured so that they shall not leach into the ground water. If necessary, oil trap shall be installed where heavy machineries are deployed.
- xi) Proper and prior planning, sequencing and scheduling of all major construction activities shall be done. Construction material shall be stored in covered godowns / sheds. Truck carrying soil, sand and other construction materials shall be duly covered to prevent spillage and dust emission. Adequate dust suppression measures shall be undertaken to control fugitive dust emission. Regular water sprinkling for dust suppression shall be ensured.
- xii) Use of Ready-Mix concrete is recommended for this project. Water demand during construction shall be reduced by use of pre-mix concrete, curing agents and other best practices.
- xiii) Accumulation/stagnation of water shall avoid ensuring vector control.
- xiv) Regular supervision of the above and other measures shall be in place all through the construction phase so as to avoid disturbance to the surroundings.

#### **Selection of Materials for Better Energy Efficiency: -**

- i) Use of fly ash based bricks/blocks/tiles/products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of Notification regarding use of Fly ash must be complied with issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash/pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India/ Central Pollution Control Board/ Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- ii) Construction shall conform to the requirements of local seismic regulations. The project proponent shall obtain permission for the plans and designs including structural design, standard, safety, adequacy of firefighting equipments, protection measures for lightning and specifications of all construction works from concerned authority.
- iii) Reduce the use of glazed surface as per National Building Code 2005. Use of glass in various buildings may be reduced up to 40% to reduce the electricity consumption and load on air-conditioning. If necessary, use of high quality double glass with special reflective coating in windows. Roof of the various buildings shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code by using appropriate thermal insulation material to fulfill requirement. Opaque wall shall meet prescriptive requirement as per Energy Conservation Building Code which is proposed to be mandatory for all air conditioned spaces while it is inspirational for non-air-conditioned spaces by use of appropriate thermal insulation material to fulfill requirement.
- iv) Use of energy efficient construction materials to achieve the desired thermal comfort shall be incorporated. The desired level of roof assembling 'U' factor and insulation 'R' value must be achieved. Roof assembling 'U' factor for the top roof shall not exceed 0.4 Watt/sq.m/degree centigrade with appropriate modifications of specifications and building technologies. The provisions of National Building Code 2005 shall be strictly followed.
- v) Modern electrical power transmission & distribution system shall be installed.

- vi) Street lighting shall be energy efficient. LED light shall be provided in street lighting, garden, public place and houses. LED lights and solar water heating systems shall be provided in the buildings (as required).
- vii) Extensive network of cellular phones and landlines shall be provided. The telephone and electric cables shall be laid in the same corridor. Adequate vertical and horizontal separation between telephone and electric cable shall be maintained.
- viii) Reduce hard paving-onsite (open area surrounding building premises) and/or provide shade on hard paved surfaces to minimize heat island effect and imperviousness of the site.
- ix) All air-conditioned buildings (if any) shall follow the norms proposed in the ECBC regulations framed by the Bureau of Energy Efficiency. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.
- x) Power requirement shall be met through Chhattisgarh State Electricity Distribution Company Limited. Power backup shall be D.G. Sets, which should be acoustically proof and ecofriendly.
- xi) The buildings shall have adequate distance among them to allow movement of fresh air and passage of natural light, air and ventilation.
- xii) During maintenance, energy efficient electric light fittings & lamps – low power ballasts, low consumption high power luminaries, lux level limiters & timers for street lighting shall be provided. Used LEDs shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury or other contamination. A report on the energy conservation measures confirming to energy conservation norms finalized by Bureau of Energy Efficiency shall be prepared incorporating details about building materials & technology, 'R' value & 'U' factors etc.

#### **Water Body Conservation: -**

- i) Improvement or rehabilitation of existing natural streams, channels / nallas falling within premises (if any) shall be carried out without disturbing the ecological habitat.
- ii) No untreated/treated wastewater shall be discharge in the any water bodies under any circumstances.
- iii) All the construction and preparatory activities shall be carried out during dry seasons only.

#### **Water Supply: -**

- i. Project proponent shall provide adequate measuring arrangement at the inlet point of water uptake and at the discharge point for the measurement of water utilized in different categories to monitor the daily water consumption. Measuring arrangement for effluent generated shall also be provided.
- ii. Water saving practices such as usage of water saving devices / fixtures, low flow flushing systems, sensor based fixtures, pressure reducing devices etc. shall be adopted.
- iii. Tubewell situated near proposed sewage treatment plant shall be closed before operation of sewage treatment plant.

#### **Greening Programme: -**

- i) Lay out of proposed buildings and roads etc. shall be made in such a way that it shall cause minimum disturbance to existing flora and fauna. Appropriate green belt shall be developed to compensate the habitat loss of trees for site clearing. The project proponent must obtain permission for tree cutting from competent authority as per prevailing Act/Rules. Plantation along the side of the roads and in the open spaces shall be developed to act as sinks of air pollutants. Adequate plantation programme along the roads and open spaces shall be planned. The plantation programme shall be drawn to confirm the natural climate conditions. The plantations shall consist of mixture of available indigenous, fast growing and sturdy species of trees, shrubs and herbs, as proposed by the project proponent. Plantation shall be done in open spaces available within the premises. Trees of species like Sagon, Khamar etc. which remain leafless for long time shall be avoided.

#### **Sewage Management: -**

- i) Sewage Treatment Plant with adequate capacity shall be installed. Sewage collection system of adequate capacity to convey the sewage during peak hours shall be laid to collect and convey the sewage from various buildings. The augmentation of Sewage Collection System, Sewage- Pumping Station (if any) and Sewage Treatment Plant shall be ensured before the completion of the buildings.
- ii) Domestic waste water after treatment shall be used in plantation and other uses as for as possible.

### **Rain Water Harvesting Scheme: -**

- i) Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- ii) Net imperviousness of the site shall not exceed the imperviousness factor as prescribed by the National Building Code of India, Bureau of Indian Standards, 2005.

### **Transport Management: -**

- i) Appropriate access shall be provided for physically challenged people in the pedestrian paths.
- ii) Traffic congestion near the entry and exit points from the roads adjoining the project site must be avoided. The design of service roads and the entry and exit from the building shall conform to the norms & standards prescribed by the National Highways Authority of India / State Public Works Department.
- iii) Permeable (porous) paving in the parking areas, and walkways & patio areas shall be used to control surface water runoff by allowing storm water to infiltrate the soil and return to ground water.
- iv) The road drainage shall be designed to enable quick runoff of surface water and prevent water logging. The road level shall be kept at least 0.5 to 1.0 meter above the observed high flood level. The guidelines on Urban Drainage, IRC: SP-50 shall be followed. On the both sides of all roads, well –lit and smooth surfaced footpaths shall be provided. The hoardings shall be strictly prohibited along the roads.
- v) Adequate provision shall be made to cater the parking needs. Parking shall be fully internalized and no public space shall be utilized. Parking spaces standards as given in 'Manual on Norms and Standards for Environmental Clearance of Large Construction Projects' issued by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India shall be adapted.

### **Others: -**

- i) All mandatory approvals and permissions as required shall be obtained.
- ii) Unskilled construction labourers shall be recruited from the local areas. Construction materials shall be procured locally as far as possible.
- iii) Water heating system provided in the residencials units and common buildings (if any) shall be 100% solar based only.
- iv) Provision of composting for the biodegradable solid wastes as well as the large amount of biomass that shall be available from the tree plantation shall be made.
- v) The ground water shall not be abstracted without prior permission from the competent authority in the project area.
- vi) Adequate roadside drains shall be provided along the road to facilitate its better maintenance and increase in the life of the carriageway, which shall avoid soil erosion and land degradation due to water stagnation. The roadside drains shall be provided on both sides of the road. Longitudinal and cross drainage system shall be regularly maintained. Adequate new drainage works and cross drainage structures shall be provided for smooth passage of runoff. Filling of existing natural drainage courses shall be strictly avoided. Suitable drainage at construction site and camp shall be provided to eliminate the formation of stagnant water pools.
- vii) Regular supervision of the above and other measures for monitoring shall be in place all through the construction phase, so as to avoid disturbance to the surroundings.

## **II. Operation Phase**

### **Sewage Treatment Plant: -**

- i) Project proponent shall operate and maintain the sewage collection / conveyance system, sewage pumping system (if any) and sewage treatment system regularly to ensure the treated effluent quality within the standards prescribed by Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India or prescribed by Chhattisgarh Environment Conservation Board (which ever stringent). All the effluent treatment system shall be kept in good running conditions all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, same alternate arrangement shall be made for storage of untreated sewage until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of

pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.

- ii) Properly treated sewage shall be utilized in flushing the toilets / gardening purpose as for as possible.

### **Municipal Solid Waste/ Other Wastes: -**

- i) Two-chambered container (one for recyclable wastes and other for all organic and compostable wastes) shall be placed at appropriate distance on the roadside and inside the building. Covered dustbins / garbage collector in convenient places to collect the municipal solid wastes shall be provided.
- ii) The proponent must develop the Solid Wastes Segregation, Collection, Handling, Transportation and Disposal Scheme ensuring safe and scientific segregation, collection, handling, transportation and disposal of organic and inorganic portion. The organic waste is to be composted / Vermi composted at the compost plant. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose. Dry solid waste and recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminum cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be ensured. All municipal solid wastes shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016.
- iii) Public awareness programmes of benefit of living a clean and healthy life by proper management of solid wastes shall be organized regularly.
- iv) All hazardous wastes (if any) shall be segregated, collected, transported, treated and disposed as per provisions of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.
- v) The use of hand gloves, shoes and safety dress for all waste collectors and sorters shall be enforced.
- vi) Recycling of all recyclable wastes such as newspaper, aluminium cans, glass bottles, iron scrap and plastics etc. shall be encouraged through private participation.
- vii) Necessary measures shall be made to mitigate the odour problems from solid wastes processing plant.

### **Others: -**

- i) Noise shall be controlled to ensure that it does not exceed the prescribed standards. During nighttime the noise level measured at the boundary of the building shall be restricted to the permissible levels to comply with the prevalent regulations.
- ii) Weep holes in the compound walls shall be provided to ensure natural drainage of rainwater in the catchments area during the monsoon period.
- iii) The ground water level and its quality shall be monitored regularly in consultation with Central Ground Water Authority.


### **PART B – GENERAL CONDITIONS**

- i) After approval of the competent authority appropriate fire fighting system shall be adapted.
- ii) The environmental safeguards and mitigation measures contained in the application shall be implemented in letter and spirit.
- iii) All the conditions, liabilities and legal provisions contained in the Environmental Clearance shall be equally applicable to the successor management of the project in the event of the project proponent transferring the ownership, maintenance of management of the project to any other entity.
- iv) The project proponent shall make financial provision in the total budget of the project for implementation of the above-mentioned conditions and for suggested environmental safeguard measures. The funds earmarked for the environmental protection measures shall not be diverted for other purposes.
- v) Six monthly monitoring reports shall be submitted to the SEIAA, Chhattisgarh; Regional Office, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India, Bhopal and Chhattisgarh Environment Conservation Board, Raipur, who shall be monitoring the implementation of environmental safeguards, shall be given full

cooperation, facilities and documents / data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents shall submit to State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh.

- vi) The responsibility of implementation of environmental safeguards rests fully on the project proponent. Project proponent shall establish an environmental management cell to carryout functions relating to environmental management under the supervision of senior executive, directly reporting to the head of organization.
- vii) In the case of any change(s) in the scope of the project, the project shall require a fresh appraisal by the SEIAA.
- viii) The issuance of this letter does not convey any property rights in either real or personal property, or any exclusive privileges, nor does it authorize any injury to private property or any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or Local laws or regulations.
- ix) All other statutory clearances from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponent. Project proponent shall obtain all necessary statutory clearances / licenses/ permissions from concerned Central Government/State Government Departments, Boards, Bodies and Corporations etc. Project proponent shall follow direction issued by Central Government/ State Government, Central Pollution Control Board/Chhattisgarh Environment Conservation Board from time to time regarding control of water & air pollution and for environmental conservation.
- x) The State Level Environmental Impact Assessment Authority, Chhattisgarh reserves the right to amend the above conditions and add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act. 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time-bound and satisfactory manner.
- xi) The project proponent shall advertise in at least two local newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned within seven days from the date of this clearance letter, informing that the project has been accorded environmental clearance and copies of clearance letter are available with the Chhattisgarh Environment Conservation Board and may also seen at Website of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of India at [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) and website of SEIAA, Chhattisgarh at [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org).
- xii) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad / Municipal Corporation, urban local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions / representations, if any, received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
- xiii) Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
उपाध्यक्ष एस.ई.ए.सी.

मेसर्स फार्चून स्टोन्स (मेमरा ग्रेनाईट माईन)

को ग्रेनाईट (ब्लैक डोलोराईट) उत्खनन क्षमता-6968 घनमीटर /वर्ष, खसरा नं. 96, 97, 710, 88, 87/1, 89/2, 90, 91/3, 91/4, 94/3 एवं 89/1, कुल लीज क्षेत्र 8.391 हेक्टेयर, ग्राम-मेमरा, तहसील-पिथौरा, जिला-महासमुंद हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 8.391 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से ग्रेनाईट (ब्लैक डोलोराईट) का अधिकतम उत्खनन 6968 घनमीटर /वर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जावे।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जावे।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जावे। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जावे एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जावे। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जावे।
5. गौण खनिज उत्खनन के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जावे। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जावे।
6. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जावेगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
7. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट डंप का भण्डारण नहीं किया जावे तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जावे।
8. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जावे। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ-साथ (कॉन्करेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जावे।
9. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से


अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जावे।


10. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य गौण खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जावे, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जावे।
12. गौण खनिज का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढँके हुये वाहन से किया जावे, ताकि गौण खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जावे।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जावे। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जावे।
14. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2016 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1680 पौधों का रोपण खदान के चारों ओर किया जावे। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जावे। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जावे। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जावे।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जावे। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिये। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किये जावें एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जावे।
16. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जावेगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
17. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जावे कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जावे। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जावे।
19. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावेगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पुरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
20. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जावे।
21. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
22. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
23. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
24. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.envfor.nic.in](http://www.envfor.nic.in) एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
26. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।



27. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जावेगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जावे।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जावे।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जावे, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे।
31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर / तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

  
सचिव, एस.ई.ए.सी.

  
उपाध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.